

## BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

## PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No.1126/2024

**IN THE MATTER OF:**

Veer Singh

Applicant

Vs

Union of India &amp; Ors

Respondent(s)

## INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Joint Committee Report in compliance of order dated 23.10.2024	1-15
2.	<b><u>ANNEXURE No.1</u></b> Copy of the order of Hon'ble NGT dated 23.10.2024	16-20
3.	<b><u>ANNEXURE No. 2</u></b> Copy of the Minute of Meeting dated 05.12.2024, 03.01.2025 and letter dated 08.01.2025 of District Mining Department, Jhansi (colly)	21-43
4.	<b><u>ANNEXURE No.3</u></b> Copy of the e-auction notice dated 26.11.2019	44-53
5.	<b><u>ANNEXURE No.4</u></b> Copy of LoI dated 28.01.2020	54-57
6.	<b><u>ANNEXURE No.5</u></b> Copy of EC dated 06.01.2021	58-65
7.	<b><u>ANNEXURE No.6</u></b> Copy of CCA dated 05.02.2024	66-70
8.	<b><u>ANNEXURE No.7</u></b> Copy of Letter dated 22.03.2023	71-72
9.	<b><u>ANNEXURE No.8</u></b> Copy of FIR dated 05.06.2023	73-79
10.	<b><u>ANNEXURE No.9</u></b> Copy of Letter dated 23.11.2023	80-82
11.	<b><u>ANNEXURE No.10</u></b> Copy of Letter dated 13.02.2024	83-86
12.	<b><u>ANNEXURE No.11</u></b> Copy of Notice dated 03.04.2024& 27.04.2024 (colly)	87-90
13.	<b><u>ANNEXURE No.12</u></b> Copy of Letter dated 23.07.2024	91-93
14.	<b><u>ANNEXURE No.13</u></b> Copy of Letter dated 13.08.2024	94

Date: 24 /01/2025

Filed By:  
MoEF&CC, Regional Office,  
Lucknow

**JOINT COMMITTEE REPORT****IN THE MATTER OF****Original Application No.1126/2024****Titled as****Veer Singh Vs Union of India & Ors****1. Background:**

The Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi was pleased to pass the order dated 23.10.2024 in the matter Original Application No.1126/2024 titled as Veer Singh Vs Union of India & Ors and direct the Joint Committee to visit the site and ascertain the truthfulness of the allegations made in the OA, the extent of the violation, if any, by respondent nos. 11 to 14 or any other person and suggest remedial measures.

Relevant para of the Hon'ble NGT order is as below: -

*".....13. Having regard to the seriousness of the allegation, we also deem it proper to constitute a Joint Committee comprising of representatives of the Member Secretary, CPCB and RO MoEF&CC, Lucknow. RO MoEF&CC, Lucknow will act as a coordinating agency in this two member joint committee. The joint committee will visit the site and ascertain the truthfulness of the allegations made in the OA, the extent of the violation, if any, by respondent nos. 11 to 14 or any other person and suggest remedial measures and submit the report before the Tribunal within eight weeks.*

*14. A copy of this order be forwarded to Members of the joint committee by email for compliance.*

*15. List on 14.02. 2025."*

**(A copy of the order of Hon'ble NGT dated 23.10.2024 is annexed herewith at Annexure No. 1)**

In compliance with the above said order, the following officials were nominated from the concerned Department:

- (i) Dr.R.B.Lal, Scientist F, MoEF&CC, RO, Lucknow
- (ii) Sh. Runa Oraon, Scientist E, CPCB, RD, Lucknow

## **2. Meetings to comply the Hon'ble Tribunal Order**

A Joint Committee meeting was conveyed on 5<sup>th</sup> December 2024 to discuss the matter and the modalities of the Site Inspection. The Regional Officer, UP Pollution Control Board, Jhansi and representative of District Mining Officer, Jhansi were also participated. Subsequently, after the Site visit of the joint committee dated 10.12.2024, a meeting was also conveyed on 03.01.2025 with regard to finalization of draft report. Accordingly, the awaited information/documents was again sought from the District Mining Department, Jhansi vide letter dated 06.01.2025. In this context, District Mining Department, Jhansi has submitted the requisite information vide letter dated 08.01.2025 **(Copy of the Minute of Meeting dated 05.12.2024, 03.01.2025 and letter dated 08.01.2025 of District Mining Department, Jhansi are annexed herewith at Annexure No.2 (colly))**

## **3. Inspection of Joint Committee:**

Joint Committee has carried out the inspection of the site in question on 10.12.2024. During the visit, following officials were present along with the committee members:

- (i) Shri Imran Ali, Regional Officer, UP Pollution Control Board, Jhansi
- (ii) Shri Bhupendra Yadav, District Mining Officer, Jhansi

(iii) Shri Atul Dubey, Mining Inspector, Jhansi

#### **4. Inspection of mining activity at Betwa River Basin Village Salemapur, Tehsil- Moth, District- Jhansi, Uttar Pradesh**

##### **4.1 Observations of the Joint Committee:**

During the visit of the day i.e. 10.12.2024, the mining was not in operation and no mining machinery/equipment's were found at site. Hence, the findings/observation are based on the documents provided by the District Mining Officer, and Regional Officer UPPCB and the records available with Joint Committee through Original Application:

- (i) The mining department has granted a mining lease in favour of M/s Subh Construction, Prop- Smt. Shashi Devi, W/o Shri Virendra Kumar, Resident—House No. 168/19, Noniya Mohal, District- Banda of 10 Hectares in total area for sand/morrum mining from the River Betwa at Gata No. 321 Ga, Village Salemapur, Tehsil- Moth, District- Jhansi.
- (ii) Notice for e-tendering along with e-auction was issued by the District Magistrate, Jhansi on 26.11.2019. **(A copy of the e-auction notice dated 26.11.2019 is annexed as Annexure No. 3)**
- (iii) Letter of Intent (LoI) was issued by the District Administration to the Project Proponent (PP) on 28.01.2020. The LoI was issued for 10 hectare mine lease area (Quantity-50000m<sup>3</sup> per year) for 5 years. **(A copy of LoI dated 28.01.2020 is annexed as Annexure No. 4)**
- (iv) Environmental Clearance (EC) has been granted to M/s Subh Construction [Prop. Smt. Shashi Devi, W/o Shri Virendra Kumar, Resident—House No. 168/19, Noniya Mohal, District- Banda for sand mining by State Level Environment Impact Assessment

Authority(SEIAA), Uttar Pradesh on 06.01.2021. **(A copy of EC dated 06.01.2021 is annexed as Annexure No. 5)**

- (v) The above-mentioned mining lease has been granted by District Magistrate, Jhansi (Mining Department) on 07.01.2021 for the period of Five (05) Years. As per the information provided by the District Mining Department, Jhansi, the PP (Project Proponent) has obtained valid transport permit of sand/morrum firstly on 20.01.2021 and lastly on 31.03.2024.
- (vi) The PP has obtained consolidated Consent to Operate (CTO) and authorization (CCA) under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 on 05.02.2024, which is valid from 05.02.2024 to 31.12.2028. **(Copy of CCA dated 05.02.2024 is annexed as Annexure No. 6).** It seems that mining operation was carried out by the project proponent without obtaining CTO from UPPCB till 04.02.2024.
- (vii) It is submitted that as per the records of mining department, Jhansi, several complaints have been made against the Project Proponent (referred as PP) regarding the violation of the conditions stipulated in mining lease.
- (viii) A notice dated 22.03.2023 was issued by Senior Mines Officer, Jhansi regarding the deposition of penalty of amount Rs. 5,25,000/- imposed upon the PP for the violation of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021 which came in notice in an Unannounced Inspection carried out by Revenue Department, Police Department & Mining Department on 03.03.2023. **(Copy of Letter dated 22.03.2023 is annexed as Annexure No. 7).** The PP has submitted the penalty of amount Rs. 5,25,000/- vide Challan dated 13.04.2023.

- (ix) The FIR was also lodged against the PP in various sections of Indian Penal Code, 1980, Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021 & Mines and Mineral (Regulation and Development) Act on 05.06.2023 by the Mining Department, Jhansi on the basis of Unannounced Inspection carried out by Police Department & Mining Department on 04.06.2023 due to certain complaints levelled against the PP. **(Copy of FIR dated 05.06.2023 is annexed as Annexure No. 8)**
- (x) A notice dated 23.11.2023 was issued by Senior Mines Officer, Jhansi regarding the deposition of penalty of amount Rs. 611600/- imposed upon the PP for the violation of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021 which came in notice in an Inspection carried out by Mining Department on 21.11.2023. **(Copy of Letter dated 23.11.2023 is annexed as Annexure No. 9)**. The PP has submitted the penalty of amount Rs. 611600/- vide Challan dated 25.11.2023.
- (xi) Director, Directorate of Geology & Mining, UP vide letter dated 13.02.2024 has requested DM, Jhansi to take appropriate action against the PP on the illegal mining reported by the inspection report dated 11.01.2024 of the Joint Committee constituted by the Directorate of Geology & Mining, UP. **(Copy of Letter dated 13.02.2024 is annexed as Annexure No. 10)**
- (xii) DM, Jhansi had issued a show cause notice dated 03.04.2024 against the PP on repeated violation of the conditions stipulated in the lease and same are also repeatedly reported in the various inspection carried out by District Administration as well as the Joint Committee constituted by the Directorate of Geology & Mining, UP. DM, Jhansi has also directed PP to deposit the sum of amount Rs. 40,99,380/-imposed upon PP and submit the clarification/explanation against the violation carried by PP within 15 days. In case of failure from PP, the action shall be initiated

against the PP in light of the provision laid down in Rule-61(1) of the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021. A subsequent reminder was also issued by DM, Jhansi on 27.04.2024 (**Copy of Notice dated 03.04.2024 & 27.04.2024 is annexed as Annexure No. 11 (colly)**)

- (xiii) In view of letter dated 13.02.2024 of Director, Directorate of Geology & Mining, UP and notice dated 03.04.2024 of DM, Jhansi, ADM(Judicial), Jhansi vide letter dated 23.07.2024 has revoked the mining lease of PP and also blacklisted the PP for the period 2 years. (**Copy of Letter dated 23.07.2024 is annexed as Annexure No. 12**)
- (xiv) A final notice dated 13.08.2024 was issued by ADM (Judicial), Jhansi regarding the deposition of penalty of Rs 1,66,71,452/- imposed upon the PP for the violation of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021. The District Mining Department, Jhansi vide letter dated 08.01.2025 (Annexure-2), inter-alia, informed that the levelled penalty was not submitted by PP and recovery of penalty through revenue is under process. (**Copy of Letter dated 13.08.2024 is annexed as Annexure No. 13**).
- (xv) During the visit, no pillar was found in the lease area. All mining lease area was observed submerged in the river water.
- (xvi) The District Mining Department, Jhansi vide letter dated 08.01.2025 (Annexure-2), inter-alia, informed that Mining Department has no information regarding replenishment study to be carried out by the PP and installation of weigh bridge.
- (xvii) During the Site visit the representative of The District Mining Department, Jhansi and Regional Office, UPPCB, Jhansi informed that the PP has not carried out plantation of 400 trees as per the condition of EC.

- (xviii) The District Mining Department, Jhansi vide letter dated 08.01.2025(Annexure-2), inter-alia, informed that the said mining lease is again auctioned on 24.07.2024 and Letter of Intent (LOI) was granted on 24.08.2024 to the PSA Contractor LLP, Partner Sh. Pankaj Singh, S/o-Sh. Kisan Pal Singh, Plot No. 618, Modern Apartment, Sector-15, VTC Rohini, Dist.-North -West Delhi

**5. Observations of the Joint Committee w.r.t. various issues raised in the Hon'ble NGT order dated 23.10.2024:**

- (i) **Para 1 of Hon'ble NGT Order:** The applicant has alleged that EC was granted to respondent no. 14 by SEIAA on 06.01.2021 for sand/morrum mining in Betwa river basin.

In this context, it is humbly submitted that Environmental Clearance (EC) has been granted to M/s Subh Construction [Prop. Smt. Shashi Devi, W/o Shri Virendra Kumar, Resident—House No. 168/19, Noniya Mohal, District- Banda] for sand mining by State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Uttar Pradesh on 06.01.2021.

- (ii) **Para 2 of Hon'ble NGT Order:** The Applicant has alleged that private respondents are using heavy machinery, including pokland excavators, dozers, and sand gravel pumps, they are also violating the Sand Mining Management Guidelines and TOR/EC and they have constructed a bridge to obstruct the natural flow of Betwa River to facilitate the illegal sand mining and are carrying out the illegal mining round the clock.

During the visit, there was no mining machinery and no mining operation/activities were found on the site. District Mining Officer has reported that the mining lease in the name of M/s Subh Construction has been cancelled.

(iii) **Para 3 of Hon'ble NGT Order:** The Applicant has alleged that illegal mining is being done beneath the permanent bridge across the river affecting the strength of the bridge and necessary conditions of installation of CCTV cameras, weighbridge is being flagrantly violated.

During the visit, there was no mining machinery/equipment's were found and the mining was not operational at the site. District Mining Officer has reported that the mining lease in the name of M/s Subh Construction has been cancelled.

(iv) **Para 4 of Hon'ble NGT Order:** It is also the allegation of the applicant that on account of falling in the pits created by private respondents due to illegal mining in the river-bed, two villagers had drawn.

The District Mining Department, Jhansi vide letter dated 08.01.2025(Annexure-2), inter-alia, informed that the incident took place on occasion of Holi (09.03.2023) and two villagers were died due to excess water depth in the river.

(v) **Para 5 of Hon'ble NGT Order:** The applicant has referred to paragraph 3.1 of the OA wherein the following violations by respondents/project proponents have been alleged:

<b>Terms and Conditions TOR/EC/Lease Agreement</b>	<b>Violations</b>	<b>Observation of the Joint Committee during inspection</b>
<i>The lease for mining in the agreement was for the depth of 2 meters only.</i>	<i>Whereas the Leaseholder has been mining till the depth of 40 feet and even further Which has created many pits in the leased area deeper than 40</i>	During visit, mining lease area was submerged in river water. Hence, depth of mining lease area could not be measured.

	<i>feet. In one such pit two persons of the village died by drowning onhoU evening dated-----</i>	
<i>Lease was granted for mining up to 50,000 m<sup>3</sup> per year according to the initial agreement, TOR and EC.</i>	<i>Whereas the leaseholder has been mining 50,000 m<sup>3</sup> every month which can be seen through the daily vehicle movement report (Annexure A-) of the Respondent Proprietor which has the details of overlodedtrucks (FIR Annexure A-7) exceeding the number of permissible vehicles for transportation on daily basis.</i>	As per details provided by mining department, Jhansi, the project proponent has carried out mining in violation of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021. Accordingly, District Mining Department had imposed the penalty.
<i>The leaseholder had not sought permission for any storage area according to the Form IA submitted by them for clearance.</i>	<i>Whereas the leaseholder has made an illegal storage by the highway where they have been storing sand/morrum everyday without any permit, which is very dangerous for the environment because the sand dust keeps moving in the air around the village area which has polluted the air quality.</i>	Mining was suspended by the District Mining Department. Hence, storage of sand/morrum was also not observed in nearby area. During the visit no sand/morrum mining was operational.

<p><i>No dredging and use of mechanical mining was permitted for the mining. According to the Form- IA no permission was sought also for mechanical machinery for the mining.</i></p>	<p><i>Whereas, the Respondent has been using heavy machinery for dredging the sand in the leased area such as poklald, sand gravel machines. Which is against the conditions of TOR and EC.</i></p>	<p>Since the Mining was suspended by the District Mining Department. Hence, use of heavy machinery for dredging the sand in the leased area such as poklald, sand gravel machines was not observed.</p>
<p><i>As per the initial lease agreement zero level mining was permitted in the leased area.</i></p>	<p><i>Whereas the Leaseholder has been violating that condition by going deeper in the riverbed and mining by dredging it.</i></p>	<p>During visit, mining area was observed submerged in river water. Hence, measurement of depth of mining area could not possible.</p>
<p><i>As per the Conditions of TOR only 8 hours of mining was permitted during the day. No mining work was to be done at night time. Use of night lights was also not permitted.</i></p>	<p><i>Whereas, the Respondent /Leaseholder has violated the conditions by mining 24*7, using lights at night time.</i></p>	<p>During the visit the mining operation was suspended by the District Mining Department, However District Mining Department of Jhansi may substantiate the fact with regard to duration of mining hours.</p>
<p><i>A maximum of 25 vehicles were permitted for the transportation of the sand/morrum in a day, which also had to be covered by tarpaulin to prevent the sand dust from flying around through the drive-away route</i></p>	<p><i>Whereas the Respondent / Leaseholder has been violating these terms by using vehicles 2-3 times more than the permissible number.</i></p>	<p>During the visit the mining operation was suspended by the District Mining Department, However District Mining Department of Jhansi may substantiate the fact with regard to number of vehicles used during the mining operation.</p>

<p><i>As per the lease agreement the total area for mining in the leased gata no. 321ga of the riverbed along the Betwa river was only for 10 ha.</i></p>	<p><i>Whereas, the leaseholder has been mining in over more than 50 ha of the area.</i></p>	<p>During the visit the mining operation was suspended by the District Mining Department, However District Mining Department of Jhansi reported in several inspections regarding the mining activity beyond the permitted lease area.</p>
<p><i>As per the terms of the TOR mining had to be done 50 meters away from the bridge.</i></p>	<p><i>Whereas the leaseholder has been mining just below the bridge which is damaging the bridge and it can collapse at any time.</i></p>	<p>During visit, mining area was observed submerged in the river water.</p>
<p><i>No parking permission was sought in Form IA as it was made clear by the Respondent no. 11 in the form that there will be no storage unit so a parking area would not be needed.</i></p>	<p><i>Whereas the Leaseholder has been using public property as storage/parking area for sand/morrum violating the conditions of the lease agreement.</i></p>	<p>Mining was suspended by the mining department and no vehicles/machinery was observed during the visit of the day.</p>
<p><i>It was clear by the conditions of TOR issued by the Respondent No. 3 that there shall not be any diversion of the river flow while mining in the leased area.</i></p>	<p><i>Whereas the Respondents 11-13 have been violating the condition by diverting the river flow. The respondents had made sand dunes in the riverbed and diverted the river flow manipulating the natural flow of the river for their</i></p>	<p>Mining was suspended by the mining department. During visit, mining area was observed submerged in river water.</p>

	<i>personal gains.</i>	
<i>It was clear by the conditions of TOR and lease agreement that no construction by the leaseholder will be done in the leased area at any point of time.</i>	<i>Whereas the Leaseholder has made a pipa bridge for the transportation to get further inside the river in order to mine more sand/morrum violating the terms and conditions of the TOR and lease agreement.</i>	Mining was suspended by the mining department. During visit, no pipa bridge has been observed.
<i>The EC given for mining to the leaseholder by the Respondent No. 2 clearly directs the leaseholder for plantation of 400 plants.</i>	<i>Whereas no plantation has been done on behalf of the Leaseholder in compliance of the direction of the EC.</i>	During the Site visit the representative of the District Mining Department, Jhansi and Regional Office, UPPCB, Jhansi informed that the PP has not carried out plantation of 400 trees as per the condition of EC.

## 6. Recommendations:

Based upon the above observations and site inspection, the recommendations of the Joint Committee are as below:

1. Mining Department should ensure recovery of penalty imposed on the project proponent and ensure necessary action as per law against the PP for violation of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021 and Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016, as amended in 2020.

2. UPPCB should take necessary actions against the PP for mining activity without obtaining CCA till 04.02.2024.
3. District Mining Department should ensure the compliance of Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016, as amended in 2020 for sustainable scientific mining.
4. Regular surveillance and monitoring is required by District Mining Department to prevent illegal mining and strict implementation of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021.
5. UPPCB shall undertake regular surveillance and monitoring of CCA, issued under the provision of the Water Act, 1974 and the Air Act, 1981.



(Runa Oraon)

Scientist E

CPCB, RD, Lucknow




(Dr. R.B. Lal)

Scientist F

MoEF&CC, RO, Lucknow

PHOTOGRAPHS





Item No. 02

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No.1126/2024  
(I.A. No. 419/2024)

Veer Singh &amp; Anr.

Applicant(s)

Versus

UOI &amp; Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 23.10.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON  
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: Mr. Rovins Francis Verma &amp; Mr. Amit Pandey, Advs. for Applicant

Respondent: Ms. Sthavi Asthana, Adv. for R - 3  
Ms. Priyanka Swami & Ms. Simran Sehgal, Advs. for R - 4 to 10  
Mr. Apoorv Kurup, Ms. Seema Pathnaha & Ms. Nidhi Mittal, Advs. for R -  
11 to 14

**ORDER**

1. In this original application, applicant has alleged that EC was granted to respondent no. 14 by SEIAA on 06.01.2021 for sand/morrum mining in Betwa river basin in respect of khasra/gata no. 321 Ga Ta, Village Salemapur, Tehsil-Moth, District Jhansi, UP but respondent no. 14-Smt. Shashi Devi, along with leaseholders, respondent no.11-M/s. Shubh Construction, respondent no.12-Shri Virendra Kumar and respondent no.13-Sanjeev Kumar is indulging in illegal sand/morrum mining since 2021 in violation of the EC conditions and in violation of the norms.

2. Further allegations are that private respondents are using heavy machinery, including pokland excavators, dozers, and sand gravel pumps, they are also violating the Sand Mining Management Guidelines and TOR/EC and they have constructed a bridge to obstruct the natural

flow of Betwa River to facilitate the illegal sand mining and are carrying out the illegal mining round the clock.

3. It is alleged that illegal mining is being done beneath the permanent bridge across the river affecting the strength of the bridge and necessary conditions of installation of CCTV cameras, weighbridge are being flagrantly violated.

4. It is also the allegation of the applicant that on account of falling in the pits created by private respondents due to illegal mining in the river-bed, two villagers had drawn.

5. Learned Counsel for the applicant during the course of the hearing has referred to paragraph 3.1 of the OA wherein the following violations by respondents/project proponents have been alleged:

<b>Terms and Conditions TOR/EC/Lease Agreement</b>	<b>Violations</b>
<i>The lease for mining in the agreement was for the depth of 2 meters only.</i>	<i>Whereas the Leaseholder has been mining till the depth of 40 feet and even further Which has created many pits in the leased area deeper than 40 feet. In one such pit two persons of the village died by drowning on hoU evening dated-----</i>
<i>Lease was granted for mining up to 50,000 m<sup>3</sup> per year according to the initial agreement, TOR and EC.</i>	<i>Whereas the leaseholder has been mining 50,000 m<sup>3</sup> every month which can be seen through the daily vehicle movement report (Annexure A-) of the Respondent Proprietor which has the details of overloaded trucks (FIR Annexure A-7) exceeding the number of permissible vehicles for transportation on daily basis.</i>
<i>The leaseholder had not sought permission for any storage area according to the Form- IA submitted by them for clearance.</i>	<i>Whereas the leaseholder has made an illegal storage by the highway where they have been storing sand/morrum everyday without any permit, which is very dangerous for the environment because the sand dust keeps moving in the air around the village area which has polluted the air quality.</i>
<i>No dredging and use of mechanical mining was permitted for the mining. According to the Form- IA no permission was sought also for mechanical machinery for the mining.</i>	<i>Whereas, the Respondent has been using heavy machinery for dredging the sand in the leased area such as poklald, sand gravel machines. Which is against the conditions of TOR and EC.</i>

<i>As per the initial lease agreement zero level mining was permitted in the leased area.</i>	<i>Whereas the Leaseholder has been violating that condition by going deeper in the riverbed and mining by dredging it.</i>
<i>As per the Conditions of TOR only 8 hours of mining was permitted during the day. No mining work was to be done at night time. Use of night lights was also not permitted.</i>	<i>Whereas, the Respondent / Leaseholder has violated the conditions by mining 24*7, using lights at night time.</i>
<i>A maximum of 25 vehicles were permitted for the transportation of the sand/morrum in a day, which also had to be covered by tarpaulin to prevent the sand dust from flying around through the drive-away route</i>	<i>Whereas the Respondent / Leaseholder has been violating these terms by using vehicles 2-3 times more than the permissible number.</i>
<i>As per the lease agreement the total area for mining in the leased gata no. 321ga of the riverbed along the Betwa river was only for 10 ha.</i>	<i>Whereas, the leaseholder has been mining in over more than 50 ha of the area.</i>
<i>As per the terms of the TOR mining had to be done 50meters away from the bridge.</i>	<i>Whereas the leaseholder has been mining just below the bridge which is damaging the bridge and it can collapse at any time.</i>
<i>No parking permission was sought in Form-IA as it was made clear by the Respondent no. 11 in the form that there will be no storage unit so a parking area would not be needed.</i>	<i>Whereas the Leaseholder has been using public property as storage/parking area for sand/morrum violating the conditions of the lease agreement.</i>
<i>It was clear by the conditions of TOR issued by the Respondent No. 3 that there shall not be any diversion of the river flow while mining in the leased area.</i>	<i>Whereas the Respondents 11-13 have been violating the condition by diverting the river flow. The respondents had made sand dunes in the riverbed and diverted the river flow manipulating the natural flow of the river for their personal gains.</i>
<i>It was clear by the conditions of TOR and lease agreement that no construction by the leaseholder will be done in the leased area at any point of time.</i>	<i>Whereas the Leaseholder has made a pipa bridge for the transportation to get further inside the river in order to mine more sand/morrum violating the terms and conditions of the TOR and lease agreement.</i>
<i>The EC given for mining to the leaseholder by the Respondent No. 2 clearly directs the leaseholder for plantation of 400 plants.</i>	<i>Whereas no plantation has been done on behalf of the Leaseholder in compliance of the direction of the EC.</i>

”

6. He has also submitted that an FIR was lodged on 04.06.2021 against illegal transportation of mining minerals without Form M-11. He has also referred to photographs as annexure A-13 to show that mechanised mining is done by the project proponent, and page no. 129 to show that a bridge has been constructed across the river to carry out the mining, and page no.130 to show instream mining. He also referred to the newspaper report on page 136, mentioning the weakening of Betwa Bridge. He has also submitted that though the complaints annexure A-11

were made to the concerned authorities, but till now no action has been taken.

7. OA raises substantial issue relating to compliance of the provisions of scheduled enactments and guidelines relating to sand mining.

8. Issue notice to the respondents for filing their response by way of affidavit.

9. Mr. Apoorv Kurup, Advocate, accepts notice on behalf of respondents nos.11 to 14 and seeks four weeks to file the reply.

10. Ms. Sthavi Asthana, Advocate accepts notice on behalf of respondent no.3 and Ms. Priyanka Swami, Advocate accepts notice on behalf of respondent no.4 to 10 and they seek four weeks time to file the reply.

11. Let notice be issued to other respondents for filing their response by way of affidavit at least one week before the next date of hearing.

12. Learned Counsel for the applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

13. Having regard to the seriousness of the allegation, we also deem it proper to constitute a Joint Committee comprising of representatives of the Member Secretary, CPCB and RO MoEF&CC, Lucknow. RO MoEF&CC, Lucknow will act as a coordinating agency in this two-member joint committee. The joint committee will visit the site and ascertain the truthfulness of the allegations made in the OA, the extent of the violation, if any, by respondent nos. 11 to 14 or any other person and

suggest remedial measures and submit the report before the Tribunal within eight weeks.

14. A copy of this order be forwarded to Members of the joint committee by email for compliance.

15. List on 14.02.2025.

Prakash Shrivastava, CP

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

October 23, 2024  
Original Application No.1126/2024  
(I.A. No. 419/2024)  
JG..



भारत सरकार  
Government of India  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Regional Office, Lucknow



Annexure- 2 21

केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 11<sup>th</sup> Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696  
Email : roc.lko-mef@nic.in, goimoeftrolko@gmail.com

File No: XXI/ENV/NGT/CC/170/2024/406.

Dated: 05.12.2024

Court matter/ Email

**MINUTE OF MEETING DATED 05.12.2024 IN O.A. NO. 1126 OF 2024  
TITLED AS VEER SINGH & ANR VS UOI & ORS BEFORE THE HON'BLE,  
NGT, NEW DELHI-Regarding.**

**Date: 05.12.2024 Time. 1100Hrs**

**Background:**

1. In this original application, applicant has alleged that EC was granted to respondent no. 14 by SEIAA on 06.01.2021 for sand/morrum mining in Betwa river basin in respect of khasra/gata no. 321 Ga Ta, Village Salemapur, Tehsil-Moth, District Jhansi, UP but respondent no. 14-Smt. Shashi Devi, along with leaseholders, respondent no.11-M/s. Shubh Construction, respondent no.12-Shri Virendra Kumar and respondent no.13-Sanjeev Kumar is indulging in illegal sand/morrum mining since 2021 in violation of the EC conditions and in violation of the norms.
2. The Hon'ble Tribunal was pleased to pass the order dated **23.10.2024**. The relevant para read as:

*".....13. Having regard to the seriousness of the allegation, we also deem it proper to constitute a Joint Committee comprising of representatives of the Member Secretary, CPCB and RO MoEF&CC, Lucknow. RO MoEF&CC, Lucknow will act as a coordinating agency in this two-member joint committee. The joint committee will visit the site and ascertain the truthfulness of the allegations made in the OA,*

*the extent of the violation, if any, by respondent nos. 11 to 14 or any other person and suggest remedial measures and submit the report before the Tribunal within eight weeks.*

14. A copy of this order may be forwarded to Members of the joint committee by email for compliance.

15. List on 14.02.2025....."

3. Follow-up Action:

In compliance to directions of Hon'ble NGT in above said matter, first meeting of the committee was convened on 05.12.2024 in hybrid mode under the chairmanship of Director/Scientist 'F' to discuss the modalities of site inspection and to obtain information from concerned officials of Departments. The List of the participants is annexed as **Annexure-A1**

4. Records of discussion are as follows:

At the onset, chairman welcomed the committee members and explained about directions of Hon'ble NGT in detail.

During the meeting dated 05.12.2024, it was unanimously decided that certain information is needed to comply the Hon'ble Tribunal order which are as follows:

- I. E-tender/Auction Notice
- II. Valid Letter of Intent (LOI)
- III. Copy of approved Mining Plan
- IV. Copy of Mining Lease
- V. Production/Excavated Details Since 2021 (Year wise)
- VI. Types of Machine approved for Mining
- VII. Replenishment Study
- VIII. District Survey Report
- IX. Copy of Inspection carried by District Mining Office/ Directorate Mining

- X. Show Cause/Directions Issued by District Mining Office/Directorate Mining
- XI. Detailed Information/Documents with respect to issues raised by applicant in O.A. at Para 3.1.
- XII. NOC of Central Ground Water Authority
- XIII. Hydro-Geological Study Report


**(Action required from District Mining Officer, Jhansi)**

- XIV. Copy of Consent to Establish (CTE)
- XV. Copy of Consent to Operate (CTO)
- XVI. Public Hearing Proceeding and Action Plan
- XVII. Copy of Site Inspection, if any done, in reference of CTE & CTO

**(Action required from RO, UPPCB, Jhansi)**

5. The Joint committee has decided to visit the site in question on 10.12.2024. District Mining officer, Jhansi and Regional Officer, UPPCB, Jhansi are requested to provide the above mentioned information & other related information as perspective of the case and also requested to assist the committee at the site inspection to enable the Joint Committee to comply with the Hon'ble NGT Order.

The meeting ended with thanks to the Chair.

  
(Dr. R.B. Lal)

Scientist 'F'

Email Id: [rocz.lko-mef@nic.in](mailto:rocz.lko-mef@nic.in)/[rb.lal@nic.in](mailto:rb.lal@nic.in)


1. **The Regional Director, CPCB, Lucknow.**  
Email: [kamalkumar.cpcb@nic.in](mailto:kamalkumar.cpcb@nic.in) [rdlucknow.cpcb@gov.in](mailto:rdlucknow.cpcb@gov.in)
2. **The Regional Officer, UPPCB, Jhansi Email** [rojhansi@uppcb.in](mailto:rojhansi@uppcb.in)
3. **The District Mining Officer, Jhansi** [jhansidgmno@gmail.com](mailto:jhansidgmno@gmail.com)  
[rodgmjhansi@gmail.com](mailto:rodgmjhansi@gmail.com)

Copy for information:  
1. The Chief Secretary, Government of U.P., Lucknow. Email: [csup@nic.in](mailto:csup@nic.in)

2. The Member Secretary, CPCB, New Delhi. Email: [mscb.cpcb@nic.in](mailto:mscb.cpcb@nic.in)

3. The Member Secretary, UPPCB, Lucknow. Email: [ms@uppcb.in](mailto:ms@uppcb.in)

4. The District Magistrate, Jhansi, Email-[dmjha@nic.in](mailto:dmjha@nic.in) with a request to direct the concerned official to assist the Joint Committee at the Site Inspection.

  
(Dr. R.B. Lal)  
Scientist 'F'

Email Id: [rocz.lko-mef@nic.in](mailto:rocz.lko-mef@nic.in) / [rb.lal@nic.in](mailto:rb.lal@nic.in)

## ANNEXURE-A1

List of Participants

S.No.	Name of Official	Designation
1.	Dr. R.B.Lal	Scientist 'F' MoEF&CC, RO, Lucknow
2.	Mr. Runa Oraon	Scientist 'E' CPCB, RD, Lucknow
4.	Mr. Imran Ali	Regional Officer, UPPCB Jhansi
5.	Mr. Atul Dubey	Mine Inspector, Jhansi



भारत सरकार  
Government of India  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ  
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यास्वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 11<sup>th</sup> Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696  
Email : roc.lko-mef@nic.in, goimoeffrolko@gmail.com

File No: XXI/ENV/NGT/CC/170/2024/960

Dated: 06.01.2025

**Court matter/ Email**

03.01.2025

**MINUTE OF MEETING DATED 05.12.2024 IN O.A. NO. 1126 OF 2024 TITLED  
AS VEER SINGH & ANR VS UOI & ORS BEFORE THE HON'BLE, NGT, NEW  
DELHI-Regarding.**

**Date: 03.01.2025 Time. 1130Hrs**

In compliance to directions of Hon'ble NGT in above said matter, second meeting of the committee was convened on 03.01.2025 in hybrid mode for the finalization of the Joint Committee Report. The Joint Committee has conducted the site inspection on 10.12.2024 and certain information has been sought from the District Mining Department which are still awaited.

During the meeting, it was unanimously decided by the committee members that the concerned department may again request to provide certain information to comply the Hon'ble Tribunal order which are as follows:

- I. Whether the penalties imposed upon project proponent on the account of violation of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021 vide notice dated 22.03.2023, 23.11.2023 & 13.08.2024 has been duly paid or not, if yes related documents may be provided
- II. Replenishment Study
- III. NOC of Central Ground Water Authority
- IV. Hydro-Geological Study Report
- V. Date of start of mining and dated of closure of mining by Project Proponent
- VI. Holi Incident Report where the people were died
- VII. During the Mining, where the Project Proponent stored the mined mineral, location of weigh bridge & etc

- VIII. Whether any fresh LOI has been issued on the same lease, if any details may be provided

**(Action required from District Mining Officer, Jhansi)**

District Mining Department, Jhansi is requested to submit the above information and also incorporate the comments in Annexure-1 if any, within 3 days i.e 08.01.2025 so as to enable the joint committee to comply with the Hon'ble Tribunal Order.



(Dr. R.B. Lal)  
Scientist 'F'

Email Id: [roc.lko-mef@nic.in/rb.lal@nic.in](mailto:roc.lko-mef@nic.in/rb.lal@nic.in)

1. **The Regional Director, CPCB, Lucknow.**  
Email: [kamalkumar.cpcb@nic.in](mailto:kamalkumar.cpcb@nic.in) [rdlucknow.cpcb@gov.in](mailto:rdlucknow.cpcb@gov.in)
2. **The Regional Officer, UPPCB, Jhansi** Email [rojhansi@uppcb.in](mailto:rojhansi@uppcb.in)
3. **The District Mining Officer, Jhansi** [jhansidgmno@gmail.com](mailto:jhansidgmno@gmail.com)  
[rodgmjhansi@gmail.com](mailto:rodgmjhansi@gmail.com)

**Copy for information:**

1. **The Chief Secretary, Government of U.P., Lucknow.** Email: [csup@nic.in](mailto:csup@nic.in)
2. **The Member Secretary, CPCB, New Delhi.** Email: [mcb.cpcb@nic.in](mailto:mcb.cpcb@nic.in)
3. **The Member Secretary, UPPCB, Lucknow.** Email: [ms@uppcb.in](mailto:ms@uppcb.in)
4. **The District Magistrate, Jhansi,** Email-[dmjha@nic.in](mailto:dmjha@nic.in) with a request to direct the concerned official to provide the requisite information to the Joint Committee.



(Dr. R.B. Lal)  
Scientist 'F'

Email Id: [roc.lko-mef@nic.in/rb.lal@nic.in](mailto:roc.lko-mef@nic.in/rb.lal@nic.in)

## ANNEXURE-1

S.No	Terms and Conditions TOR/EC/Lease Agreement	Violations	Comment of District Mining Department
1	<i>The lease for mining in the agreement was for the depth of 2 meters only.</i>	<i>Whereas the Leaseholder has been mining till the depth of 40 feet and even further Which has created many pits in the leased area deeper than 40 feet. In one such pit two persons of the village died by drowning on hoU evening dated---- --</i>	
2	<i>Lease was granted for mining up to 50,000 m<sup>3</sup> per year according to the initial agreement, TOR and EC.</i>	<i>Whereas the leaseholder has been mining 50,000 m<sup>3</sup> every month which can be seen through the daily vehicle movement report (Annexure A-) of the Respondent Proprietor which has the details of overloded trucks (FIR Annexure A-7) exceeding the number of permissible vehicles for transportation on daily basis.</i>	
3	<i>The leaseholder had not sought permission for any storage area according to the Form IA submitted by them for clearance.</i>	<i>Whereas the leaseholder has made an illegal storage by the highway where they have been storing sand/morrum every day without any permit, which is very dangerous for the environment because the sand dust keeps moving in the air around the village area which has polluted the air quality.</i>	

4	<p>No dredging and use of mechanical mining was permitted for the mining. According to the Form- IA no permission was sought also for mechanical machinery for the mining.</p>	<p>Whereas, the Respondent has been using heavy machinery for dredging the sand in the leased area such as poklald, sand gravel machines. Which is against the conditions of TOR and EC.</p>	
5	<p>As per the initial lease agreement zero level mining was permitted in the leased area.</p>	<p>Whereas the Leaseholder has been violating that condition by going deeper in the riverbed and mining by dredging it.</p>	
6	<p>As per the Conditions of TOR only 8 hours of mining was permitted during the day. No mining work was to be done at night time. Use of night lights was also not permitted.</p>	<p>Whereas, the Respondent /Leaseholder has violated the conditions by mining 24*7, using lights at night time.</p>	
7	<p>A maximum of 25 vehicles were permitted for the transportation of the sand/morrum in a day, which also had to be covered by tarpaulin to prevent the sand dust from flying around through the drive-away route</p>	<p>Whereas the Respondent / Leaseholder has been violating these terms by using vehicles 2-3 times more than the permissible number.</p>	
8	<p>As per the lease agreement the total area for mining in the leased gata no. 321ga of the riverbed along the Betwa river was only for 10 ha.</p>	<p>Whereas, the leaseholder has been mining in over more than 50 ha of the area.</p>	

9	<i>As per the terms of the TOR mining had to be done 50meters away from the bridge.</i>	<i>Whereas the leaseholder has been mining just below the bridge which is damaging the bridge and it can collapse at any time.</i>	
10	<i>No parking permission was sought in Form IA as it was made clear by the Respondent no. 11 in the form that there will be no storage unit so a parking area would not be needed.</i>	<i>Whereas the Leaseholder has been using public property as storage/parking area for sand/morrum violating the conditions of the lease agreement.</i>	
11	<i>It was clear by the conditions of TOR issued by the Respondent No. 3 that there shall not be any diversion of the river flow while mining in the leased area.</i>	<i>Whereas the Respondents 11-13 have been violating the condition by diverting the river flow. The respondents had made sand dunes in the riverbed and diverted the river flow manipulating the natural flow of the river for their personal gains.</i>	
12	<i>It was clear by the conditions of TOR and lease agreement that no construction by the leaseholder will be done in the leased area at any point of time.</i>	<i>Whereas the Leaseholder has made a pipa bridge for the transportation to get further inside the river in order to mine more sand/morrum violating the terms and conditions of the TOR and lease agreement.</i>	
13	<i>The EC given for mining to the leaseholder by the Respondent No. 2 clearly directs the leaseholder for plantation of 400 plants.</i>	<i>Whereas no plantation has been done on behalf of the Leaseholder in compliance of the direction of the EC.</i>	

सेवा में,

डॉ० आर०बी० लाल (वैज्ञानिक 'एफ')  
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।

दिनांक: ०८/०१/२०२५

पत्रांक:- 1038/30एम०एम०सी०/2024-25

विषय:- पत्र संख्या-XXI/ENV/NGT/CC/170/2024/960 दिनांक: 06.01.2025 के माध्यम से चाही गयी सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया अपने पत्र दिनांक: 06.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-सलेमापुर के आराजी संख्या-321ग रकवा-10.000 हे० क्षेत्र पर 05 वर्ष की अवधि (दिनांक: 16.01.2021 से दिनांक: 15.01.2026 तक) हेतु बालू/मोरम का खनन पट्टा जो तदसमय मेसर्स शुभ कन्सट्रक्शन प्रो० श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार निवासी-म०नं० 168/19 नोनिया मोहाल, कटरा, जनपद-झाँसी मो०नं०-8953546227 ई-मेल आई०डी०-Shubhconstruction0@gmail.com के पक्ष में स्वीकृत था, के सम्बन्ध में निम्न सूचनाये चाही गयी है:-

क्र० सं०	चाही गयी सूचना	उत्तर
1	नोटिस दिनांक: 22.03.2023, 23.11.2023 एवं 13.08.2024 के माध्यम से अधिरोपित की गयी धनराशि जमा किया गया है अथवा नहीं।	कार्यालय अभिलेख के अनुसार प्रश्नगत पट्टा को कार्यालय पत्र संख्या-293/30एम०एम०सी०/2024-25 दिनांक: 19.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से निरस्त कर तदसमय के पट्टाधारक (जिसका विवरण ऊपर प्रदर्शित है) का नाम 02 वर्ष की अवधि हेतु काली सूची में डाला गया है। देय धनराशि के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नोटिस दिनांक: 22.03.2023 के माध्यम से अधिरोपित की गयी धनराशि को चालान संख्या-AKV230019730 दिनांक: 13.04.2023 व नोटिस दिनांक: 23.11.2023 को चालान संख्या-AKV230041377 दिनांक: 25.11.2023 के माध्यम से जमा कर दिया गया है (छायाप्रति संलग्न) एवं नोटिस दिनांक: 13.08.2024 के माध्यम से अधिरोपित की गयी धनराशि को जमा नहीं किया गया है जिसमें भू-राजस्व की भाँती वसूली कराये जाने सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है।
2	रिप्लेनिशमेंट स्टडी के सम्बन्ध में	कार्यालय अभिलेख में रिप्लेनिशमेंट स्टडी से सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण चाही गयी सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। उक्त की जानकारी SEIAA/तदसमय के पट्टाधारक (जिसका विवरण ऊपर दिया गया है) से प्राप्त की जा सकती है।
3	भू-जल विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।	कार्यालय अभिलेखों के अनुसार भू-जल सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण चाही गयी सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। उक्त की जानकारी भू-जल विभाग/तदसमय के पट्टाधारक (जिसका विवरण ऊपर दिया गया है) से प्राप्त की जा सकती है।
4	खनन संक्रिया प्रारम्भ एवं बन्द होने के तिथि	विभागीय पोर्टल <a href="https://upmines.upsdc.gov.in">https://upmines.upsdc.gov.in</a> के अनुसार तदसमय के पट्टाधारक द्वारा प्रथम बार वैध परिवहन प्रपत्र दिनांक: 20.01.2021 को निर्गत किया गया एवं अन्तिम वैध परिवहन प्रपत्र दिनांक: 31.03.2024 को निर्गत किया गया।

5	वे-ब्रिज के स्थान	वे-ब्रिज के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पट्टाधारक द्वारा वे-ब्रिज अपने पट्टा क्षेत्र के निकट लगाया जाना प्राविधानिक है किन्तु कार्यालय अभिलेखों के अनुसार पट्टाधारक द्वारा किस स्थान पर वे-ब्रिज लगाया गया था की जानकारी उपलब्ध न होने के कारण, चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है। उक्त की जानकारी तदसमय के पट्टाधारक (जिसका विवरण ऊपर दिया गया है) से प्राप्त की जा सकती है।
6	होली में हुए दुर्घटना के सम्बन्ध में	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में श्री जवाहर लाल राजपूत, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा उ0प्र0 विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम शुक्रवार दिनांक: 11.08.2023 को प्रश्न संख्या-91 के माध्यम से उठाया गया था जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-1661/30एम0एम0सी0/2023-24 दिनांक: 25.11.2023 एवं पत्र संख्या-107/30एम0एम0सी0/2025-26 दिनांक: 06.05.2024 के माध्यम से उत्तर प्रेषित किया गया। उपरोक्त दोनों पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
7	उक्त क्षेत्र में यदि कोई आशय पत्र निर्गत हुआ है तो उसकी जानकारी	आशय पत्र दिनांक: 24.08.2024 की छायाप्रति संलग्न।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि पत्र संख्या-XXI/ENV/NGT/CC/170/2024/960 दिनांक: 06.01.2025 के साथ संलग्नक Annexure-I में उल्लिखित बिन्दुओं की नियमानुसार जाँच हेतु मा0 हरित न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक: 23.10.2024 में समिति का गठन किया गया है जिसमें जाँच कर आवश्यक टिप्पणी समिति द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

संलग्नक:- यथोपरि।


  
03/01/2025

खान निरीक्षक  
झाँसी।

पत्रांक व तददिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
2. सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, झाँसी।

  
खान निरीक्षक  
झाँसी।

# कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी ।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:-293/30एम0एम0सी0/2024-25

दिनांक: 19/06/2024

## आदेश

जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-सलेमापुर के आराजी संख्या-321ग मे 10.00 हेक्टेयर नदी तल क्षेत्र पर प्रतिवर्ष 50,000.00 घनमीटर बालू/मोरम का खनन व परिवहन करने हेतु उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (यथासंशोधित) नियमावली-2021 के अध्याय-4 के अन्तर्गत ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से 05 वर्ष (दिनांक: 16.01.2021 से दिनांक: 15.01.2026 तक) की अवधि हेतु मेसर्स शुभ कन्सट्रक्शन प्रो0 श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार निवासी-168/19 नोनिया मोहाल, कटरा, जनपद-बांदा के पक्ष में नीलामी पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किया गया।

उक्त स्वीकृत खनन पट्टा के चतुर्थ वर्ष की चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम किश्त जो पट्टा विलेख के भाग-02 के अनुसार निर्धारित किश्तों की कुल धनराशि रू0 2,01,48,480.00, जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास की कुल धनराशि रू0 20,54,841.00 तथा टी0सी0एस0 की कुल धनराशि रू0 3,80,136.00 की देयता प्रत्येक माह के प्रथम दिवस को देय हो गयी थी। जिसे आप द्वारा समयान्तर्गत जमा नहीं किया गया, जिस कारण बकाया धनराशि उक्त नियमावली-2021 के नियम-59 व 61 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन कार्यालय पत्र संख्या-36/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 18.04.2024 एवं अन्तिम नोटिस कार्यालय पत्र संख्या-82/30एम0एम0सी0/2023-24 दिनांक: 27.04.2024 को जमा कराये जाने के सम्बन्ध में नोटिस निर्गत किया गया। जिसके उपरान्त भी आपके द्वारा जमा नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त स्वीकृत खनन पट्टा के प्रथम,द्वितीय,तृतीय एवं चतुर्थ वर्षों में जमा की गयी किश्तों की धनराशि, डी0एम0एफ0 की धनराशि तथा टी0सी0एस0 की धनराशि का विवरण एवं बकाया (मूल/ब्याज) की स्थिति निम्नवत् है:-

पट्टा वर्ष	देय धनराशि व तीथे का विवरण			जमा धनराशि व तीथे का विवरण			बकाया एवं ब्याज की धनराशि का विवरण						
	किश्त	डी0एम0एफ0	टी0एस0एस0	किश्त	डी0एम0एफ0	टी0एस0एस0	( किश्त पर ब्याज- 18 प्रतिशत वार्षिक डी0एम0एफ0 पर ब्याज- 15 प्रतिशत वार्षिक )						
							किश्त	डी0एम0एफ0	टी0एस0एस0	धनराशि	ब्याज	धनराशि	ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
प्रथम पट्टा वर्ष (21-22)	9520000	952000	190400	9520000	952000	190400	-	-	-	-	-	-	-
	01.01.2021	01.01.2021		06.10.2020	31.12.2020		-	-	-	-	-	-	-
	4760000	476000	95200	4760000	476000	95200	-	-	-	-	-	-	-
	01.02.2021	01.02.2021		30.01.2021	04.02.2021		-	-	-	-	-	-	-
	4760000	476000	95200	4760000	476000	95200	-	-	-	-	-	-	-
	01.03.2021	01.03.2021		24.02.2021	08.03.2021		-	-	-	-	-	-	-
	4760000	476000	95200	4760000	476000	95200	-	-	-	-	-	-	-
	01.04.2021	01.04.2021		19.03.2021	23.03.2021		-	-	-	-	-	-	-
	4760000	476000	95200	4760000	476000	95200	-	-	-	-	-	-	-
	01.05.2021	01.05.2021		22.04.2021	23.04.2021		-	-	-	-	-	-	-
	4760000	476000	95200	4760000	476000	95200	-	-	-	-	-	-	-
	01.06.2021	01.06.2021		28.05.2021	28.05.2021		-	-	-	-	-	-	-
4760000	476000	95200	4760000	476000	95200	-	-	-	-	-	-	-	
01.10.2021	01.10.2021		24.09.2021	27.09.2021		-	-	-	-	-	-	-	
4760000	476000	95200	4760000	476000	95200	-	-	-	-	-	-	-	
01.11.2021	01.11.2021		28.10.2021	28.10.2021		-	-	-	-	-	-	-	
4760000	476000	95200	4760000	476000	95200	-	-	-	-	-	-	-	
01.12.2021	01.12.2021		30.11.2021	30.11.2021		-	-	-	-	-	-	-	
10472000	1047200	209440	10472000	1047200	209440	-	108444	-	14630	-	-	-	
01.01.2022	01.01.2022		21.01.2022	06.02.2022		-	-	-	-	-	-	-	
5236000	523600	104720	5236000	523600	104720	-	-	-	-	-	-	-	
01.02.2022	01.02.2022		31.01.2022	06.02.2022		-	-	-	-	-	-	-	
5236000	523600	104720	5236000	523600	104720	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.2022	01.03.2022		28.02.2022	07.03.2022		-	-	-	-	-	-	-	
5236000	523600	104720	5236000	523600	104720	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.2022	01.04.2022		30.03.2022	31.03.2022		-	-	-	-	-	-	-	
5236000	523600	104720	5236000	523600	104720	-	-	-	-	-	-	-	
01.05.2022	01.05.2022		02.06.2022	06.06.2022		-	-	-	-	-	-	-	
5236000	523600	104720	5236000	523600	104720	-	-	-	-	-	-	-	
01.08.2022	01.08.2022		31.05.2022	31.06.2022		-	-	-	-	-	-	-	
5236000	523600	104720	5236000	523600	104720	-	103280	-	10750	-	-	-	
01.10.2022	01.10.2022		10.11.2022	21.11.2022		-	-	-	-	-	-	-	

(2)

(2)

	5236000 01.11.2022	523600 01.11.2022	104720	5236000 11.11.2022	523600 21.11.2022	104720	-	25820	-	4515	-	-	
	5236000 01.12.2022	523600 01.12.2022	104720	5236000 15.11.2022	523600 30.11.2022	104720	-	-	-	-	-	-	
तृतीय पट्टा वर्ष (23-24)	11519200 01.01.2023	1151920 01.01.2023	230284	11519200 03.02.2023	1151920 02.03.2023	230284	-	187440	-	29326	-	-	
	5759600 01.02.2023	575960 01.02.2023	115192	5759600 20.02.2023	575960 02.03.2023	115192	-	56800	-	7316	-	-	
	5759600 01.03.2023	575960 01.03.2023	115192	5759600 27.02.2023	575960 02.03.2023	115192	-	-	-	-	-	-	
	5759600 01.04.2023	575960 01.04.2023	115192	5759600 25.03.2023	575960 28.03.2023	115192	-	-	-	-	-	-	
	5759600 01.05.2023	575960 01.05.2023	115192	5759600 29.04.2023	575960 29.04.2023	115192	-	-	-	-	-	-	
	5759600 01.06.2023	575960 01.06.2023	115192	5759600 31.05.2023	575960 01.06.2023	115192	-	-	-	-	-	-	
	5759600 01.10.2023	575960 01.10.2023	115192	5759600 26.10.2023	575960 28.11.2023	115192	-	73840	-	13688	-	-	
	5759600 01.11.2023	575960 01.11.2023	115192	5759600 04.11.2023	575960 28.11.2023	115192	-	11360	-	6608	-	-	
	5759600 01.12.2023	575960 01.12.2023	115192	5759600 01.12.2023	575960 01.12.2023	115192	-	-	-	-	-	-	
चतुर्थ पट्टा वर्ष (24-25)	12671120 01.01.2024	1267112 01.01.2024	253423	12671120 19.01.2024	1267112 16.02.2024	253423	-	118712	-	23920	-	-	
	6335560 01.02.2024	633556 01.02.2024	126712	6335560 29.01.2024	633556 16.02.2024	126712	-	-	-	5460	-	-	
	6335560 01.03.2024	633556 01.03.2024	126712	6335560 28.02.2024	633556 22.03.2024	126712	-	-	-	-	-	-	
	6335560 01.04.2024	633556 01.04.2024	126712	-	-	-	6335560	248796	633556	20540	126712	-	
	6335560 01.05.2024	633556 01.05.2024	126712	-	-	-	6335560	15376	633556	12740	126712	-	
	6335560 01.06.2024	633556 01.06.2024	126712	-	-	-	6335560	37488	633556	4680	126712	-	
	योग							19006680	1141800	1900668	154173	380136	-

उपरोक्त तालिका के अनुसार किश्त के मद में ब्याज सहित कुल ₹0 2,01,48,480.00 धनराशि, डी0एम0एफ0 के मद में ब्याज सहित ₹0 20,54,841.00 एवं टी0सी0एस0 के मद में ₹0 3,80,136.00 की धनराशि बकाया है। इस प्रकार कुल ₹0 2,25,83,457.00 की धनराशि आपके ऊपर बकाया के रूप में देय है।

इसके अतिरिक्त कार्यालय पत्र संख्या-2059/30एम0एम0सी0/2023-24 दिनांक: 17.02.2024 के माध्यम से निदेशालय के गठित टीम द्वारा दी गयी संयुक्त जांच आख्या में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-58, 60(2), 60(3) व 60(4) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार ₹0 22,23,380.00 शास्ति के रूप में धनराशि अधिरोपित कर नोटिस निर्गत किया गया। जिसे आप द्वारा अब तक खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "0853" में जमा नहीं कराया गया है, खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन करते समय निर्गत ई-एम0एम0 11 से अधिक मात्रा का परिवहन (Volume Mismatch) करने के सम्बन्ध में जारी नोटिस दिनांक: 05.03.2024 में उल्लिखित धनराशि ₹0 86,215.00 भी अभी तक जमा नहीं किया गया तथा कतिपय प्राप्त शिकायतों के कम में जनपदीय खान निरीक्षक एवं सर्वेक्षक द्वारा पट्टा क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक: 30.03.2024 को किया गया, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट्स पर सीमास्तम्भ न लगाया जाना, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर प्रतिबन्धित मशीन लिफ्टर के माध्यम से अवैध खनन कर 390.00 घनमीटर भण्डारित किये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 36(1) व 42ज(1) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार ₹0 18,76,000.00 शास्ति के रूप में धनराशि अधिरोपित करते हुए पट्टाविलेख में उल्लिखित शर्तों का बार-बार उल्लंघन किये जाने के कारण नियम-61(1) के अन्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टा के निरस्तीकरण की कार्यवाही क्यों न कर दी जाय के परिपेक्ष में

(3)

(3)

स्पष्टीकरण स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या-16/30एम0एम0सी0/2023-24 दिनांक: 03.04.2024 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। जिसके सम्बन्ध में आप द्वारा अब तक कार्यालय में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया और न ही नोटिस में उल्लिखित शास्ति की धनराशि खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा नहीं कराया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि पट्टाधारिका द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 36(1) व 42ज(1) एवं पट्टाविलेख में निर्धारित शर्तों का बार-बार उल्लंघन किया जा रहा है तथा निर्धारित देय किश्त, डी0एम0एफ0 व टी0सी0एस0 भी समयान्तर्गत जमा नहीं किया गया।

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-61 में उल्लिखित प्राविधान निम्नवत् है:-

- (1) पट्टेदार द्वारा इन नियमों या पट्टे में दी गई या दी गई समझी जाने वाली शर्तों और प्रसंविदाओं के सिवाय उनके, जो स्वामित्व, भाटक या राज्य सरकार को देय अन्य धनराशियों के भुगतान से संबंधित हो, भंग या उल्लंघन किये जाने की दशा में राज्य सरकार पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् पट्टा समाप्त कर सकती है। यह अधिकार नियम-60 के उपबन्धों के अतिरिक्त होगा और इसका उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (2) यदि उप नियम (1) अथवा नियम-59 के अधीन पट्टा समाप्त कर दिया जाता है तो पट्टेदार का जिलाधिकारी द्वारा दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा कि वह उचित समझे, काली सूची में डाल सकता है, जो विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी और ऐसी अवधि के दौरान उसको इस नियमावली के अधीन कोई खनिज परिहार अनुमन्य नहीं होगा। इस संबंध में यथास्थिति, खनन पट्टे के रजिस्टर में या नीलामी रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले स्तम्भ में एक प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

उपरोक्त उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार पट्टाधारिका द्वारा प्रश्नगत खनन पट्टा में जमा की गयी प्रतिभूत की धनराशि रु0 1,19,00,000.00 में से निम्न बकाया धनराशि को समायोजित किया जाता है:-

क्र० सं०	बकाया के मद का विवरण	बकाया/शास्ति की धनराशि (रु० में)
1	किश्त ब्याज सहित	2,01,48,480.00 (किश्त 1,90,06,680.00 + 11,41,800.00 ब्याज)
2	डी0एम0एफ0 ब्याज सहित	20,54,841.00 (डी0एम0एफ0 19,00,668.00 + 1,54,173 ब्याज)
3	टी0सी0एस0	3,80,136.00
4	Volume Mismatch के सम्बन्ध में नोटिस दिनांक: 05.03.2024	86,215.00
6	अवैध खनन का नोटिस दिनांक: 03.04.2024	40,99,380.00
	बकाया कुल धनराशि	2,67,08,140.00
	समायोजन उपरान्त बकाया शेष धनराशि	2,67,69,052.00 - 1,19,00,000.00 = 1,48,69,052.00

अतः उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-61 के अन्तर्गत आपके पक्ष में रूकीकृत खनन पट्टा जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-सलेमापुर के आराजी संख्या-321ग मे 10.00 हेक्टेयर को निरस्त कर प्रश्नगत क्षेत्र को रिक्त घोषित किया जाता है एवं नियम-61(2) के अन्तर्गत पट्टाधारिका का नाम दो वर्ष की

(4)

(4)


अवधि हेतु काली सूची में डाला जाता है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बकाया शेष धनराशि रू0 1,48,69,052.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करना सुनिश्चित करें। मेसर्स शुभ कन्सट्रक्शन प्रो0 श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा बकाया वांछित धनराशि निर्धारित समय से जमा नहीं किये जाने पर बकाया धनराशि को भू-राजस्व की भांति वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी।

  
जिलाधिकारी,  
झाँसी।

पत्रांक व तद् दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी।
- 4- अपर आयुक्त, आयकर विभाग, झाँसी को इस आशय से प्रेषित कि पट्टाधारक से टी.सी.एस(आयकर) की उक्त धनराशि रू0 3,80,136.00 वसूल करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 5- अपर जिलाधिकारी(न्यायिक), झाँसी।
- 6- उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी, मोंठ।
- 7- मेसर्स शुभ कन्सट्रक्शन प्रो0 श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार निवासी-168/19 नोनिया मोहाल, कटरा, जनपद-बांदा।

  
जिलाधिकारी,  
झाँसी।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
झाँसी।

सेवा में,

निदेशक,  
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०  
खनिज भवन, लखनऊ।

पत्रांक: 1661/30एम०एम०सी०/2023-24

दिनांक: 25/11/2023

विषय :- श्री जवाहर लाल राजपूत, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा "उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश" (सोलहवाँ संस्करण) के निदेश संख्या-166/167 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-1293/एम०-वि०स०प्रश्न/2023 दिनांक: 17.11.2023 जिसके साथ संलग्न शासन के पत्र संख्या-29 वि.स.नियम/86-2023 दिनांक: 10.11.2023 एवं विधान सभा सचिवालय (संसदीय अनुभाग) के फाईल नं०-1/9480/2023-04019/21/2023 दिनांक: 31.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में उ०प्र० विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम शुक्रवार दिनांक: 11.08.2023 को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-91 पर दिये गये उत्तर तथा उक्त उत्तर सम्बन्धी निदेशालय के उत्तरालेख पत्र संख्या-748/एम०-1वि०स० प्रश्न/2023 दिनांक: 01.08.2023 एवं प्रश्नकर्ता मा० सदस्य विधान सभा द्वारा उक्त उत्तर पर की गयी आपत्ति विषयक अधिसूचना दिनांक: 21.09.2023 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है। शासन द्वारा प्रश्नगत आपत्ति के बिन्दु पर सप्रमाण वस्तुस्थिति 03 दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। आपत्ति बिन्दुओं पर सप्रमाण वस्तुस्थिति का उत्तरालेख निम्नवत् है :-

क्र० सं०	आपत्ति बिन्दु	क्र० सं०	आपत्ति बिन्दुओं पर सप्रमाण उत्तरालेख
1	विधान सभा के वर्ष 2023 के द्वितीय सत्र के प्रथम शुक्रवार दिनांक: 11 अगस्त, 2023 को मेरे द्वारा अतारांकित प्रश्न सं० 91 के माध्यम से पूछा गया था कि क्या झाँसी में बालू पट्टाधारकों द्वारा बेतवा नदी के पास अवैध खनन से गहरे गददों में वर्षा 2022 से 12 मई, 2023 तक हुयी मौतों की जाँच विषयक मेरे पत्र क-7 सं०-187584, दिनांक: 09 मई, 2023 पर क्या कार्यवाही हुई। उत्तर में सरकार द्वारा कहा गया कि पुल से 500 मीटर दूर खनन के पट्टे स्वीकृत हैं और उस क्षेत्र में किसी की मृत्यु नहीं हुयी है। जबकि यह उत्तर सत्य से परे है। दिनांक: 09 मई, 2023 को एरच के रामगंज मोहल्ले के सुरेन्द्र पुत्र लक्ष्मी 25 वर्ष तथा सुनील पुत्र राजेश उम्र 19 वर्ष की इन्हें अवैध खनन के गददों में डूबकर मृत्यु हुयी है। इन मौतों के सम्बन्ध में तत्समय मेरे द्वारा स्वयं मा० मुख्य मंत्री को पत्र भी लिखा गया था और इनकी परिवारों को सरकारी सहायता भी दिलायी गयी है। थाना-पूँछ की रिपोर्ट द्वारा भी सिद्ध होता है कि उक्त मौतें हुयी है।	1	थाना-पूँछ जनपद-झाँसी द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक: 20/11/2023 में उल्लेख किया गया है कि दिनांक: 09.03.2023 को थाना-पूँछ क्षेत्रान्तर्गत एरच पुल के नीचे बेतवा नदी में 02 युवक (1) सुरेन्द्र कुमार अहिरवार पुत्र श्री लक्ष्मीप्रसाद निवासी-मो० रामगंज कस्बा व थाना-एरच जिला झाँसी उम्र-26 वर्ष (2)-सुनील पुत्र श्री राजेश अहिरवार निवासी-मो० रामगंज कस्बा व थाना-एरच जिला झाँसी उम्र-22 वर्ष जो कि बेतवा नदी में नहाने हेतु गये थे, नहाते हुये गहरे पानी में डूब गये थे। मृतकगण उपरोक्त के शव की पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी गयी थी। सुरेन्द्र कुमार अहिरवार व सुनील अहिरवार उपरोक्त नदी में नहाने हेतु गये थे नहाते समय बेतवा नदी में पानी अधिक होने के कारण नदी में गहरे पानी में डूबने के कारण दोनों की मृत्यु हो गयी थी (आयाप्रति संलग्न)। उपरोक्त आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि सुरेन्द्र कुमार अहिरवार एवं सुनील जो कि बेतवा नदी में नहाने हेतु गये थे, नहाते समय बेतवा नदी में पानी अधिक होने के कारण नदी में गहरे पानी में डूबने के कारण दोनों की मृत्यु हो गयी थी जिसमें अवैध खनन के चलते होने वाले गददों का उल्लेख नहीं है।
		2	थाना-एरच, जनपद-झाँसी द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक: 29.01.2023 में उल्लेख किया गया है कि बेतवा नदी पर बने एरच से पूँछ जाने वाले रास्ते पर बने पुल के आस-पास थाना-क्षेत्रान्तर्गत खनन से सम्बन्धित कोई भी गदद नहीं है और न ही अवैध खनन के चलते होने वाले गददों के कारण नदी में डूबकर किसी की मृत्यु हुयी है (आयाप्रति संलग्न)। उपरोक्त आख्या में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बेतवा नदी पर बने एरच से पूँछ जाने वाले रास्ते पर बने पुल के आस-पास थाना-क्षेत्रान्तर्गत खनन से सम्बन्धित कोई भी गदद नहीं है और न ही अवैध खनन के चलते होने वाले गददों के कारण नदी में डूबकर किसी की मृत्यु हुयी है।

	<p>3 सम्बन्धित खनन परिहारधारक श्री सत्यम गुप्ता के द्वारा सक्शन मशीन/लिफ्टर द्वारा खनन करते पाये जाने पर परिहारधारक के विरुद्ध थाना-एरच में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक: 10.01.2023 को दर्ज करायी गई (छायाप्रति संलग्न) तथा परिहारधारक से नियमानुसार शमन शुल्क की धनराशि जमा कराते हुए खनन परिहार दिनांक: 08.06.2023 को निरस्त कर दिया गया एवं परिहारधारक मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन प्रो० श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा सक्शन मशीन/लिफ्टर द्वारा खनन के चिन्ह करते पाये जाने पर परिहारधारक के विरुद्ध दिनांक: 05.06.2023 को थाना-पूछ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी (छायाप्रति संलग्न) तथा परिहारधारक से नियमानुसार शमन शुल्क की धनराशि जमा करा दी गयी है।</p>
--	---


उपरोक्तानुसार आख्या अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है।

भवदीय



जिलाधिकारी,

झाँसी



पत्रांक व तददिनांक:

प्रतिलिपि :- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।



जिलाधिकारी,

झाँसी



प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
झाँसी।

सेवा में,

विशेष सचिव,  
भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

पत्रांक: 107 /30एम0एम0सी0/2025-26

दिनांक: 06/05/2024

विषय :- उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र 2023 के प्रथम शुक्रवार दिनांक: 11.08.2023 को उत्तरित श्री जवाहर लाल राजपूत, मा0 सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या-91 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14वि0स0नियम/86-2024 दिनांक: 10.04.2024 एवं अनुस्मारक-1 पत्र संख्या-14वि0स0नियम(1)/86-2024 दिनांक: 22.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न विशेष सचिव, विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश समिति (समान्य) अनुभाग-4 के पत्र संख्या-1/12857/2024 दिनांक: 01.04.2024 जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र 2023 के प्रथम शुक्रवार दिनांक:11.08.2023 को उत्तरित थे जवाहर राजपूत, मा0 सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या-91 (जनपद-झाँसी में बालू खनन के पट्टाधारकों द्वारा बेतवा नदी पर बने पुल के पास अवैध खनन में हुये गहरे गड्ढों में वर्ष 2022 से दिनांक: 12.05.2023 तक हुई मौतों सम्बन्धी प्रकरण) को जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु मा0 अध्यक्ष, विधान सभा की प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को संदर्भित करते हुये समिति के विचारार्थ प्रश्नगत प्रकरण में स्वहस्ताक्षरित व्याख्यात्मक टिप्पणी की 40 प्रतियां 15 दिन के अन्दर विधान सभा सचिवालय, समिति (समान्य) अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है, आपत्ति बिन्दुओं पर सप्रमाण वस्तुस्थिति/व्याख्यात्मक टिप्पणी निम्नवत् है :-

क0 सं0	आपत्ति बिन्दु	क0 सं0	व्याख्यात्मक टिप्पणी/सप्रमाण
1	जनपद-झाँसी में बालू खनन के पट्टाधारकों द्वारा बेतवा नदी पर बने पुल के पास अवैध खनन में हुये गहरे गड्ढों में वर्ष 2022 से दिनांक: 12.05.2023 तक हुई मौतों सम्बन्धी प्रकरण)	1	<p>थाना-पूछ जनपद-झाँसी द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक: 20/11/2023 में उल्लेख किया गया है कि दिनांक: 09.03.2023 को थाना-पूछ क्षेत्रान्तर्गत एरच पुल के नीचे बेतवा नदी में 02 युवक (1) सुरेन्द्र कुमार अहिरवार पुत्र श्री लक्ष्मीप्रसाद निवासी-मो0 रामगंज कस्बा व थाना-एरच जिला झाँसी उम्र-26 वर्ष (2)-सुनील पुत्र श्री राजेश अहिरवार निवासी-मो0 रामगंज कस्बा व थाना-एरच जिला झाँसी उम्र-22 वर्ष जो कि बेतवा नदी में नहाने हेतु गये थे, नहाते हुये गहरे पानी में डूब गये थे। मृतकगण उपरोक्त के शव की पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी गयी थी। सुरेन्द्र कुमार अहिरवार व सुनील अहिरवार उपरोक्त नदी में नहाने हेतु गये थे नहाते समय बेतवा नदी में पानी अधिक होने के कारण नदी में गहरे पानी में डूबने के कारण दोनों की मृत्यु हो गयी थी (छायाप्रति संलग्न)।</p> <p>उपरोक्त आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि सुरेन्द्र कुमार अहिरवार एवं सुनील जो कि बेतवा नदी में नहाने हेतु गये थे, नहाते समय बेतवा नदी में पानी अधिक होने के कारण नदी में गहरे पानी में डूबने के कारण दोनों की मृत्यु हो गयी थी जिसमें अवैध खनन के चलते होने वाले गड्ढों का उल्लेख नहीं है।</p> <p>इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि दोनों मृतक व्यक्तियों (सुरेन्द्र कुमार अहिरवार व सुनील अहिरवार) के परिजनों द्वारा बेतवा नदी में डूबने के कारण हुई मृत्यु के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाना में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी गयी।</p>

	<p>2 थाना-एरच, जनपद-झाँसी द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक: 29.01.2023 में उल्लेख किया गया है कि बेतवा नदी पर बने एरच से पूँछ जाने वाले रास्ते पर बने पुल के आस-पास थाना-क्षेत्रान्तर्गत खनन से सम्बन्धित कोई भी गढ़वा नहीं है और न ही अवैध खनन के चलते होने वाले गढ़वों के कारण नदी में डूबकर किसी की मृत्यु हुयी है (छायाप्रति संलग्न)। उपरोक्त आख्या में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बेतवा नदी पर बने एरच से पूँछ जाने वाले रास्ते पर बने पुल के आस-पास थाना- क्षेत्रान्तर्गत खनन से सम्बन्धित कोई भी गढ़वा नहीं है और न ही अवैध खनन के चलते होने वाले गढ़वों के कारण नदी में डूबकर किसी की मृत्यु हुयी है।</p>
	<p>3 सम्बन्धित खनन परिहारधारक श्री सत्यम गुप्ता के द्वारा सक्शन मशीन/लिफ्टर द्वारा खनन करते पाये जाने पर परिहारधारक के विरुद्ध थाना-एरच में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक: 10.01.2023 को दर्ज करायी गई (छायाप्रति संलग्न) तथा परिहारधारक से नियमानुसार शमन शुल्क की धनराशि जमा कराते हुए खनन परिहार दिनांक: 08.06.2023 को निरस्त कर दिया गया एवं परिहारधारक मैसर्स शुभ कन्सल्टेशन प्रो० श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा सक्शन मशीन/लिफ्टर द्वारा खनन के चिन्ह करते पाये जाने पर परिहारधारक के विरुद्ध दिनांक: 05.06.2023 को थाना-पूँछ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी (छायाप्रति संलग्न) तथा परिहार धारक से नियमानुसार शमन शुल्क की धनराशि जमा करा दी गयी है।</p>

उपरोक्तानुसार आख्या अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है।

भवदीय

जिलाधिकारी,

झाँसी

पत्रांक व तददिनांक:

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।

जिलाधिकारी,

झाँसी।

## कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी ।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक: 557 / 30एम0एम0सी0 / 2024-25

दिनांक: 24/08/2024

### आशय-पत्र (Letter of Intent)

शासनादेश संख्या 781/86-2020-14 (सा0)/2020 भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक 23.05.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जनपद-झाँसी में नदी तल पर उपलब्ध बालू/मोरम के रिक्त क्षेत्रों को ई-निविदा के माध्यम से 06 माह की अवधि हेतु अल्पकालीन खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-402/30एम0एम0सी0/ई-निविदा/बालू/मोरम/2024-25 दिनांक: 24.07.2024 द्वारा उपलब्ध घोषित/विज्ञापित करते हुए इन क्षेत्रों के लिए पूर्व निर्धारित पाँच कार्य दिवस (दिनांक: 06.08.2024 के 10.00 बजे पूर्वान्ह से दिनांक: 13.08.2024 के 5:00 बजे अपरान्ह तक) के अन्दर ई-निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर सर्वसाधारण से ई-निविदा आमंत्रित किया गया था जिसे जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित ई-निविदा समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक: 14.08.2024 को सम्बन्धित ई-निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला गया।

उक्त विज्ञापित दिनांक: 24.07.2024 के कम मे बेतवा नदी तल स्थित बालू/मोरम के निम्नलिखित क्षेत्र हेतु पी0एस0ए0 कांट्रेक्टर एल0एल0पी0 पार्टनर श्री पंकज सिंह पुत्र श्री किशन पाल सिंह निवासी-प्लाट नं0-618 मॉडर्न आपर्टमेन्ट सेक्टर-15 वी0टी0सी0 रोहिनी, जिला उत्तर पश्चिम दिल्ली द्वारा प्रस्तुत ई-निविदा रू0 2089.10 प्रति घनमीटर सर्वोच्च पायी गयी:-

क्र0 सं0	क्षेत्र का विवरण	क्षेत्र में 06 माह हेतु खनन योग्य आंकलित बालू/मोरम की मात्रा (घ0मी0 मे)	नियमावली-1983 की अनुसूची-1 के अनुसार न्यूनतम रॉयल्टी की दर (रू0 प्रति घ0मी0)	प्राप्त सर्वोच्च ई-निविदा की दर (रू0 प्रति घ0मी0)	देय रॉयल्टी की कुल धनराशि (रू0 मे)	देय रॉयल्टी का 50 प्रतिशत की धनराशि (रू0 मे)	प्रतिभूति के रूप में जमा धनराशि (रू0 मे)	देय रॉयल्टी की अवशेष धनराशि (रू0 मे)
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8	9 (7-8)
1	तहसील-मोंठ, ग्राम-सलेमापुर, आराजी संख्या-321 ग क्षेत्रफल-10.000 हेक्टेयर	50,000.00	150.00	2089.10	10,44,55,000.00	5,22,27,500.00	37,50,000.00	4,84,77,500.00

ई-निविदा समिति द्वारा की गयी संस्तुति दिनांक: 14.08.2024 द्वारा बालू/मोरम के उपरोक्त क्षेत्र हेतु पी0एस0ए0 कांट्रेक्टर एल0एल0पी0 पार्टनर श्री पंकज सिंह द्वारा प्रस्तुत सर्वोच्च ई-निविदा रू0 2089.10 प्रति घनमीटर को स्वीकार करते हुये सर्वोच्च ई-निविदाकार पी0एस0ए0 कांट्रेक्टर एल0एल0पी0 पार्टनर श्री पंकज सिंह पुत्र श्री किशन पाल सिंह निवासी-प्लाट नं0-618 मॉडर्न आपर्टमेन्ट सेक्टर-15 वी0टी0सी0 रोहिनी, जिला उत्तर पश्चिम दिल्ली के पक्ष में खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने के निमित्त आशय-पत्र निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक: 23/08/2024 द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। अतः निम्नलिखित शर्तों के अधीन पी0एस0ए0 कांट्रेक्टर एल0एल0पी0 पार्टनर श्री पंकज सिंह के पक्ष में एतद् द्वारा आशय-पत्र निर्गत किया जाता है:-

### शर्तें:

- उक्त तालिका के कॉलम-9 में अंकित देय रॉयल्टी का पचास प्रतिशत की अवशेष धनराशि रू0 4,84,77,500.00 (चार करोड़ चौरासी लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ रुपये मात्र) आशय पत्र (Letter of intent) निर्गत किये जाने की तिथि से 02 कार्य दिवस के अन्दर जनपद-झाँसी में खनिज के निर्धारित लेखा शीर्षक "0853, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग" में जमा कर ट्रेजरी चालान की मूलप्रति जिलाधिकारी कार्यालय (खनिज अनुभाग), झाँसी में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर उपरोक्तानुसार देय रॉयल्टी का पचास प्रतिशत की अवशेष धनराशि रू0 4,84,77,500.00 (चार करोड़ चौरासी लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ रुपये मात्र) जमा करने में विफल होने पर निर्गत उक्त आशय पत्र को निरस्त करते हुए सर्वोच्च ई-निविदाकार द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा की गयी कुल धनराशि रू0 37,50,000.00 (सैंतीस लाख पचास हजार रुपये) राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत कोई प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होगा।

(2)

- 2- अनुज्ञा पत्र पूर्व निर्धारित 06 माह की समाप्ति के दिनांक तक अथवा ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमे से जो भी पहले हो, के लिए वैध होगा।
- 3- उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार पट्टाधारक क्षेत्र का सीमांकन करायेगा तथा नियम-36 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा एवं उनका अनुरक्षण करने हेतु सदैव उत्तरदायी होगा।
- 4- उक्त नियमावली-2021 के नियम-35 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करना होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक: 14.09.2006 तथा यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन उक्त क्षेत्र हेतु पूर्व में प्राप्त पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र (Environment clearance) को अपने पक्ष में स्थानान्तरित कराना अनिवार्य होगा।
- 5- राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर व शुल्क यथा आयकर (देय रायल्टी की कुल धनराशि का दो प्रतिशत) एवं जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास (देय रायल्टी की कुल धनराशि का दस प्रतिशत) उपादान के रूप में जमा करना होगा।
- 6- खनन अनुज्ञा पत्र के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कॉर्डिनेट्स अंकित करायेगा।
- 7- खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण कुशल कारीगर की भाँति करेंगे।
- 8- नियम-36 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार परिवहन की निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री दृश्यता रिकॉर्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित एक चेक पोस्ट/गेट का निर्माण किया जायेगा। उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र में परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये प्रपत्र ई-एम0एम0 11 पर अंकित व्यू0आर0 कोड/बारकोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप से अनुरक्षित रखेगा। उक्त सभी सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकॉर्डिंग को कम से कम तीस दिन तक सुरक्षित रखेगा और नियम-67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकॉर्डिंग मांगे जाने पर समस्त रिकॉर्ड उपलब्ध करायेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली, 2021 के नियम-60 के अन्तर्गत वह शास्ति का भागीदार होगा।
- 9- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक: 05.09.2018 के अनुपालन में पट्टा धारक द्वारा खनन क्षेत्र के निकासी स्थल पर तौल मशीन लगवा कर निदेशालय में स्थापित कमाण्ड सेन्टर में प्रयुक्त आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स युक्त सॉफ्टवेयर में इन्टीग्रेट करायेगा। इन्टीग्रेट में स्थित तौल मशीन में निम्न Features का होना आवश्यक है:-

(1) The Weigh bridge device should use the MQTT protocol to transmit data.

(2) The Weigh bridge device should transmit data over the internet to IOT infrastructure in cloud.

- 10- तीन मीटर अथवा जल स्तर, दोनों में से जो कम हो, से परे कोई खनन संक्रियायें नहीं की जायेगी।
- 11- जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
- 12- नदी की जल धारा में सक्शन मशीन/लिफ्टर आदि द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

(3)

- 13- स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन हेतु प्रपत्र ई-एम0एम0 11 निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जायेगा।
- 14- नियमों व पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर परिहार धारक को अपना पक्ष रखने की युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
- 15- उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-68 के अधीन भूमि के स्वामियों को प्रतिकर पाने का अधिकार होगा, जो भू-स्वामियों एवं परिहार धारक के मध्य तय होगा।
- 16- राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है, तो वह परिहार धारक को मान्य होगी।
- 17- माननीय उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक),  
झाँसी।

पत्रांक व तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी।
- 4- जिलाधिकारी, झाँसी।
- 5- प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी वन प्रभाग, झाँसी।
- 6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी।
- 7- क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी।
- 8- उप जिलाधिकारी, मोंठ, झाँसी।
- 9- सर्वोच्च ई-निविदाकार पी0एस0ए0 कांटेक्टर एल0एल0पी0 पार्टनर श्री पंकज सिंह पुत्र श्री किशन पाल सिंह निवासी-प्लॉट नं0-618 मॉडर्न आपर्टमेन्ट सेक्टर-15 वी0टी0सी0 रोहिनी, जिला उत्तर पश्चिम दिल्ली को अनुपालनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक),  
झाँसी।

Pankaj Singh  
995-443420

## कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनन-अनुभाग)

संख्या :- 1276 / 30एम0एम0सी0 / विज्ञापित-बालू/ मोरम / 2019-20 दिनांक: 26/11/2019

ई-निविदा सह ई-नीलामी आगन्त्रण हेतु सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-झाँसी में प्रवाहित नदियों के तल में बालू/मोरम के निम्न विवरण के अनुसार रिक्त खनन क्षेत्रों को उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम-23 के उप नियम-(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध घोषित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) (सैतालीसवाँ संशोधन) नियमावली-2019 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग के निर्गत शासनादेश संख्या-2168/86-2019-57 (सा०)/2017 टी.सी.1 दिनांक: 09.10.2019 में दिये गये निर्देशानुसार उक्त नियमावली-1963 के अध्याय-4 के प्राविधानों के अन्तर्गत ई-निविदा सह-ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनन पट्टों पर स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नलिखित क्षेत्र उपलब्ध है :-

1-- क्षेत्र का विवरण :-

क्र० सं०	उपखनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण				जियो कोऑर्डिनेट्स		नियमावली 1963 के अनुसूची-1 के अनुसार रायल्टी दर (रु० प्रति घनमीटर)	खनन योग्य आकलित उप खनिज का गण्डार (घनमी० प्रतिवर्ष)	प्रथम वर्ष में आंकलित गण्डार की कुल रायल्टी रूपयों में (कालम-9 में अंकित घनमी० प्रतिवर्ष को कालम-8 में अंकित रायल्टी की दर से गुणा करने पर उपलब्ध रहने वाला घनराशि) (रूपय में)	अनैल्टगनी (कालम 10 में अंकित सकल घनराशि का 25 प्रतिशत) (रूपय में)
			तहसील	ग्राम	गाटा सं० / खण्ड सं० / जोन सं०	क्षेत्रफल (हे० मी)	Latitude	Longitude				
1	बालू/ मोरम	धरान नदी	गरीठा	धमनौड	1419ख (खण्ड-1)	24.00	A- 25°40'47.60"N H- 25°41'22.17"N I- 25°41'25.13"N P- 25°40'51.81"N	79°23'3.70"E 79°22'37.78"E 79°22'38.44"E 79°23'7.22"E	150-00	2,50,000.00	3,75,00,000.00	93,75,000.00
2	बालू/ मोरम	धरान नदी	"	खरवांढ	908न (खण्ड-2)	20.00	A- 25°43'24.36"N C- 25°43'45.00"N D- 25°43'40.79"N F- 25°43'18.59"N	79°22'42.70"E 79°22'20.60"E 79°23'23.15"E 79°22'46.77"E	150-00	1,80,000.00	2,70,00,000.00	67,50,000.00
3	बालू/ मोरम	धरान नदी	"	देवरी	332/1 (खण्ड-2)	10.00	A- 25°47'14.50"N D- 25°47'40.50"N E- 25°47'38.90"N F- 25°47'47.00"N J- 25°47'13.47"N	79°23'59.20"E 79°23'49.90"E 79°23'46.30"E 79°23'43.20"E 79°24'7.43"E	150-00	30,000.00	90,00,000.00	22,50,000.00
4	बालू/ मोरम	बेतवा नदी	"	देहरका	1ख, 277 (खण्ड-2)	13.00	A- 25°42'22.14"N B- 25°42'27.05"N E- 25°42'25.86"N F- 25°42'22.22"N	79°1'34.09"E 79°1'29.49"E 79°2'1.80"E 79°2'0.72"E	150-00	52,000.00	78,00,000.00	19,50,000.00
5	बालू/ मोरम	बेतवा नदी	"	खगा	1क, 470	12.00	A- 25°46'33.40"N B- 25°46'36.43"N C- 25°46'22.40"N D- 25°46'17.44"N E- 25°46'16.66"N	79°18'31.10"E 79°18'35.03"E 79°18'49.20"E 79°18'53.11"E 79°18'45.32"E	150-00	48,000.00	72,00,000.00	18,00,000.00
6	बालू/ मोरम	बेतवा नदी	"	बेहतर	522घ	14.164	A- 25°47'54.70"N C- 25°48'8.97"N D- 25°48'8.58"N E- 25°47'50.24"N	79°17'31.60"E 79°17'52.40"E 79°17'57.39"E 79°17'35.04"E	150-00	35,300.00	52,95,000.00	13,23,750.00
7	बालू/ मोरम	बेतवा नदी	"	डिकौली	1129	12.140	A- 25°48'25.80"N B- 25°48'27.70"N C- 25°48'28.25"N D- 25°48'24.30"N E- 25°48'21.08"N F- 25°48'23.10"N	79°8'30.20"E 79°8'30.10"E 79°8'56.59"E 79°8'56.70"E 79°8'44.02"E 79°8'33.20"E	150-00	36,500.00	54,75,000.00	13,69,750.00
8	बालू/ मोरम	बेतवा नदी	"	कुडरी	01,218क	14.00	A- 25°48'14.30"N B- 25°48'19.05"N F- 25°47'51.40"N G- 25°47'48.00"N	79°14'28.50"E 79°14'27.70"E 79°15'09.00"E 79°15'06.00"E	150-00	80,000.00	1,20,00,000.00	30,00,000.00
9	बालू/ मोरम	बेतवा नदी	गोंठ	सलेगापुर	321ग	10.00	A- 25°48'4.57"N B- 25°48'24.19"N C- 25°48'22.36"N D- 25°48'3.13"N	79°4'57.25"E 79°5'3.97"E 79°5'9.66"E 79°5'2.41"E	150-00	50,000.00	75,00,000.00	18,75,000.00
10	बालू/ मोरम	बेतवा नदी	"	परौठा	184/1	8.903	A- 25°44'46.78"N B- 25°44'59.00"N C- 25°45'8.10"N D- 25°45'8.85"N G- 25°44'45.25"N	79°3'28.50"E 79°3'32.60"E 79°3'32.10"E 79°3'35.94"E 79°3'33.93"E	150-00	13,400.00	20,10,000.00	5,02,500.00
11	बालू/ मोरम	बेतवा नदी	"	बेतवा	1085, 1107/गि०	16/187	A- 25°37'56.21"N B- 25°37'55.18"N D- 25°37'16.02"N E- 25°37'17.95"N	78°56'59.73"E 78°57'3.80"E 78°56'51.33"E 78°56'46.41"E	150-00	15,000.00	22,50,000.00	5,62,500.00

क्र.सं.	बालू/मोरम	मड़गोरु नदी	मकरानीपुर	नवादा	373,374,382, 383,384,386, 387,388, 782, 800, 692	3.00	A- 25°10'24.79"N M- 25°10'52.13"N N- 25°10'51.79"N A- 25°10'24.60"N	79° 4'23.78"E 79° 4'50.48"E 79° 4'50.74"E 79° 4'24.22"E	150-00	15,000.00	22,50,000.00	5,62,500.00
13	बालू/मोरम	मड़गोरु नदी	"	अतपेई	794	2.50	A- 25° 9'32.49"N K- 25°10'23.15"N L- 25°10'22.77"N T- 25° 9'32.26"N	79° 4'13.11"E 79° 4'22.82"E 79° 4'23.25"E 79° 4'13.71"E	150-00	8,000.00	12,00,000.00	3,00,000.00
14	बालू/मोरम	सपराय नदी	"	अतपेई व नवादा	28,67,73,76 व नवादा-872	14.00	A- 25°10'15.80"N B- 25°10'16.33"N H- 25°10'42.94"N I- 25°10'43.99"N	79° 2'21.63"E 79° 2'19.24"E 79° 3'16.36"E 79° 3'19.80"E	150-00	70,000.00	1,05,00,000.00	26,25,000.00
15	बालू/मोरम	घसान नदी	"	खकौरा	523	20.00	A- 25° 9'38.59"N B- 25° 9'39.69"N E- 25° 8'57.45"N F- 25° 8'55.21"N	79°12'46.39"E 79°14'50.11"E 79°19'23.09"E 79°19'18.34"E	150-00	1,50,000.00	2,25,00,000.00	56,25,000.00
16	बालू/मोरम	सुखनई नदी	"	घवाकर/सितौरा	1984 मि 0 व 01	9.00	A- 25°16'16.00"N B- 25°16'18.40"N E- 25°16'38.90"N F- 25°16'37.50"N	79°11'52.00"E 79°11'51.40"E 79°12'41.80"E 79°12'43.70"E	150-00	35,000.00	52,50,000.00	13,12,500.00
17	बालू/मोरम	सुखनई नदी	"	घवाकर	1984 मि 0, 2009	12.140	A- 25°15'52.40"N B- 25°15'54.90"N E- 25°16'18.40"N F- 25°16'15.90"N	79°10'54.20"E 79°10'51.40"E 79°11'50.90"E 79°11'51.40"E	150-00	20,000.00	30,00,000.00	7,50,000.00
18	बालू/मोरम	सुखनई नदी	"	पचौरा	968, 798, 1102	8.093	A- 25°15'14.30"N H- 25°15'28.80"N I- 25°15'27.30"N O- 25°15'11.30"N	79° 5'08.00"E 79° 5'52.70"E 79° 5'51.00"E 79° 5'14.50"E	150-00	30,200.00	45,30,000.00	11,32,500.00
19	बालू/मोरम	उर नदी	"	मेलवारा	950,966	14.164	A- 25° 7'16.28"N G- 25° 8'18.58"N H- 25° 8'16.65"N N- 25° 7'16.67"N	79°14'35.97"E 79°14'56.83"E 79°14'33.47"E 79°14'37.29"E	150-00	15,000.00	22,50,000.00	5,62,500.00
20	बालू/मोरम	बेतवा नदी	टहरौली	कुकरगांव	01क	30.351	A- 25°38'23.38"N B- 25°38'29.43"N E- 25°38'43.93"N F- 25°38'37.14"N	76°57'39.87"E 74°57'36.04"E 75°58'25.06"E 78°58'27.84"E	150-00	4,56,000.00	6,84,00,000.00	1,71,00,000.00

- 2- ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली द्वारा नदी तल में स्थित क्षेत्रों पर उपलब्ध उप खनिजों के खनन पट्टे, 05 वर्ष की निश्चित अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। खनन पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख के निष्पादन की तिथि से की जायेगी।
- 3- ई-निविदा सह-ई-नीलामी की बिड/बोली उप खनिज की प्रति घनमीटर के लिए दी जायेगी, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। इससे भिन्न बिड/बोली दिये जाने पर बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्री बिड अर्नेष्ट मनी जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/बोली की दर (रूपया प्रति घनमीटर) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घनमीटर) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी को देय धनराशि आगणित की जायेगी, जिसे पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
- 4- ई-निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (e-tender) देने का मौका प्राप्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा। ई-निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई-नीलामी करायी जायेगी, जिसके दौरान बिडर्स ई-नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बिड दे सकते हैं। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपनी बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते हैं।
- 5- किसी क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेष्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उप खनिज की रायल्टी की दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि की 25 प्रतिशत होगी।
- 6- एम0एस0टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

*Me*

- ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पर की जायेगी।
- 7- इच्छुक बोलीदाता के लिए ऑन लाईन बिड/बोली हेतु Class-III Signing type डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम0एस0टी0सी0 के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह बोलीदाता अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान डी0एस0सी0 की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
- 8- पंजीकृत बोलीदाता निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाईन अधिकतम 02 क्षेत्र या 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए बिड में भाग ले सकेंगे, परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेष्टमनी एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार एम0एस0टी0सी0 के पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करनी होगी। किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में पूर्व से 02 (दो) क्षेत्र या कुल 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक के खनन पट्टे धारित होने पर वे बिड में भाग नहीं ले सकेंगे। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में ₹0 15,000-00 (₹0 पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क, एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से, जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।
- 9- ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑक्शन पोर्टल [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्व: जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी0 द्वारा भेजी गयी सूचना ई-मेल से प्राप्त होगी, जिसके पश्चात् बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 को ऑनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी0एस0टी0 सहित ₹0 2,360-00 (₹0 दो हजार तीन सौ साठ मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउण्ट एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा। पूर्व में पंजीकृत बिडर्स जिसकी पंजीकरण की अवधि वैध है उन्हें पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा परन्तु नये नियमों के अनुसार आवश्यक अभिलेख तथा हैसियत प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात् ही उनका पंजीकरण चालू (Activate) हो पायेगा।
- 10- पंजीकृत हेतु स्व प्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर बिडर्स द्वारा अपलोड करना अनिवार्य होगा :-
- (1) बोलीदाता के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामले में भारत सरकार कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण-पत्र की प्रति।
- (2)- बोलीदाता का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ बोलीदाता स्थायी रूप से निवास करता हो।
- (3)- बोलीदाता का पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।

- (4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई-निविदा सह-ई-नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, तथा बैंक का नाम, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति।
- (5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहाँ बोलीदाता राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहाँ इस आशय के शपथ पत्र की प्रति।
- (6) स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारण्टी जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो।
- 11- एम0एस0टी0सी0 द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की वेबसाइट से वसूली प्रमाण पत्र एवं 'ब्लैक लिस्ट' की सूची से मिलान करने के उपरान्त केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली-1963 के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियमावली-1963 के नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं :-
- (1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है।
- (2) जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है।
- (3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उस चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।
- (4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
- (5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।
- (6) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।
- (7) जिसने हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक प्रत्याभूति जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो, प्रस्तुत न की हो।
- 12- ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पर देखा जा सकता है।
- 13- ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक रू0 15,000-00 (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेष्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।
- 14- सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयाने की धनराशि (अर्नेष्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में बदलाव मान्य नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलाव किया जा सकता है।
- 15- जहां किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया प्रारम्भ जा सकती है।
- 16- अधिकतम दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र को उ0प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक के खनन

पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के दो क्षेत्र या 50 हे० के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर ऑफ इन्टेन्ट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी। नियमावली-1963 में 47वें संशोधन के पूर्व के प्रकरण इस शर्त से आच्छादित नहीं होंगे।

17- ई निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया :-

(1) ई निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई-निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड की दर प्रत्येक उप खनिज के लिए प्रति घन मीटर के लिए दी जायेगी, जो सम्बन्धित उप खनिज के लिए नियमावली-1963 की अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। विज्ञप्ति के अनुसार क्षेत्रवार प्राप्त ई-निविदा को एक साथ न खोलकर पृथक-पृथक खोला जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम चरण की ई-निविदा खोलने के तत्काल 02 घण्टे बाद द्वितीय चरण की ई-नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(2)-प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

(क)- यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रति घनमीटर दी गयी दर नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उस उप खनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्तें पूर्ण करता हो, तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेन्ट जारी किया जायेगा।

(ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (आफर) में प्रति घन मीटर में दी गयी दर नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उस उप खनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है, तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उप खनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुए स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर ऑफ इन्टेन्ट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय ले सकेंगे।

(ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पाँच या पाँच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिडकर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेन्ट जारी किया जायेगा।

(घ) यदि पाँच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते हैं तब केवल पाँच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेन्ट जारी किया जायेगा।

(3) उपरोक्त प्रस्तर-17(2)(ग),(घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते हैं।

(4) द्वितीय चरण में ई-नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई-नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई-नीलामी के लिए न्यूनतम बोली (Floor Price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।

- (5) ई-नीलामी की प्रक्रिया जो ई-निविदा खोलने के तत्काल दो घण्टे बाद प्रारम्भ होगी, में इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकते हैं। ई-नीलामी की ऑनलाइन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी, और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाइन ही दिया जा सकता है।
- (6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली की प्रक्रिया बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दी जा सकती है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो ई-नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिए बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।
- (7) ई-निविदा सह ई-नीलामी की काल योजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी:-

प्रेस विज्ञापित (विज्ञापित का प्रकाशन)	28 नवम्बर, 2019
देय धनराशि जमा करने का अन्तिम दिनांक	29 दिसम्बर, 2019
प्रथम चरण ई-निविदा (ई-टेण्डर) की अवधि	दिनांक: 30.12.2019 से 03.01.2020 (सायं 05:00 बजे) तक
प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	<p>04.01.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से क्रमांक-1 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>06.01.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से क्रमांक-2 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>07.01.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से क्रमांक-3 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>08.01.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से क्रमांक-4 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>09.01.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से क्रमांक-5 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>10.01.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से क्रमांक-6 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>13.01.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से क्रमांक-7 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>14.01.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से क्रमांक-8 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>16.01.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से क्रमांक-9 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>17.01.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से क्रमांक-10 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>18.01.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से क्रमांक-11 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>20.01.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से क्रमांक-12 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>21.01.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से क्रमांक-13 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>22.01.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से क्रमांक-14 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>23.01.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से क्रमांक-15 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>24.01.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से क्रमांक-16 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>25.01.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से क्रमांक-17 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>27.01.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से क्रमांक-18 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>28.01.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से क्रमांक-19 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>29.01.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से क्रमांक-20 पर विज्ञापित क्षेत्र</p>
द्वितीय चरण ई-नीलामी की अवधि	<p>04.01.2020 अपरान्ह 12:00 बजे से क्रमांक-1 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>06.01.2020 अपरान्ह 12:00 बजे से क्रमांक-2 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>07.01.2020 अपरान्ह 12:00 बजे से क्रमांक-3 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>08.01.2020 अपरान्ह 12:00 बजे से क्रमांक-4 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>09.01.2020 अपरान्ह 12:00 बजे से क्रमांक-5 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>10.01.2020 अपरान्ह 12:00 बजे से क्रमांक-6 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>13.01.2020 अपरान्ह 12:00 बजे से क्रमांक-7 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>14.01.2020 अपरान्ह 12:00 बजे से क्रमांक-8 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>16.01.2020 अपरान्ह 12:00 बजे से क्रमांक-9 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>17.01.2020 अपरान्ह 12:00 बजे से क्रमांक-10 पर विज्ञापित क्षेत्र</p> <p>18.01.2020 अपरान्ह 12:00 बजे से क्रमांक-11 पर विज्ञापित क्षेत्र</p>

20.01.2020 अपरान्ह 12:00 बजे से कमांक-12 पर विज्ञापित क्षेत्र
21.01.2020 अपरान्ह 12:00 बजे से कमांक-13 पर विज्ञापित क्षेत्र
22.01.2020 अपरान्ह 12:00 बजे से कमांक-14 पर विज्ञापित क्षेत्र
23.01.2020 अपरान्ह 12:00 बजे से कमांक-15 पर विज्ञापित क्षेत्र
24.01.2020 अपरान्ह 12:00 बजे से कमांक-16 पर विज्ञापित क्षेत्र
25.01.2020 अपरान्ह 12:00 बजे से कमांक-17 पर विज्ञापित क्षेत्र
27.01.2020 अपरान्ह 12:00 बजे से कमांक-18 पर विज्ञापित क्षेत्र
28.01.2020 अपरान्ह 12:00 बजे से कमांक-19 पर विज्ञापित क्षेत्र
29.01.2020 अपरान्ह 12:00 बजे से कमांक-20 पर विज्ञापित क्षेत्र

(8) **परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन :-**

क- प्रथम चरण की ई-निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य है अथवा नहीं को भी लॉगिन कर जान सकते है।

ख- एकल निविदा के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

18- **पट्टे का दिया जाना :-** नियमावली के नियम-28 के प्रावधानों के अनुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर-17(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अई बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन कराने के एक सप्ताह के अन्दर लेटर ऑफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

19- **अभिलेखों का सत्यापन :-** ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात् 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहाँ क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख के सत्यापन की स्थिति में अभिलेख-सत्यापन की आख्या ई-मेल दो मध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख-सत्यापन के पश्चात् ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेष्टमनी) जब्त कर ली जायेगी।

20- **लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगे :-**

(1) प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिए विज्ञापित में आकलित मात्रा घनमीटर को ई-निविदा/ई-नीलामी की दर रूपया-घन प्रति मीटर से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

(2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 20 प्रतिशत दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेष्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।

(3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-1963 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।

(4) पट्टाधारक नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा जिसमें सीमा बिन्दुओं का जिओ-कोआर्डिनेटस भी इंगित किया जायेगा तथा नियम-35 के अनुसार सीमा-स्तम्भ लगायेगा और इसका अनुरक्षण करेगा।

(5) चयनित आवेदक नियम-34 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि-उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा की जायेगी।

(7) आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।

21- सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :-

(1)-स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न होने पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की मात्रा अनुमन्य होगी। पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु ई-नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तदनुसार प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली-1963 के पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।

(2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 20 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि का 45 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित जनपद में विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक में लेटर ऑफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित करते हुए जमा की जाना होगी। प्री-बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि एम0एस0टी0सी0 द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा ऑनलाइन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।

(3) प्रथम वर्ष के लिये शेष 80 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-58 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

(4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0 जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

*M*

तर्त :-

- (1)-ई निविदा सह-ई नीलामी में भाग से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुंच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (2)-पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित स्थानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र के कोर्डिनेट्स अंकित किये जायें तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।
- (3)-पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से तत्काल खनन संकियायें पट्टेदार प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जानबूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संकियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भांति करेगा।
- (4) पट्टेदार नियम-35 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकाडिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टेदार उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकाडिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकाडिंग को उपलब्ध करायेगा।
- (5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण तथा विक्रय मूल्य सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-1963 के नियम-59 के अन्तर्गत शासित का भागीदार होगा।
- (6) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो भी कम हो, से अधिक गहराई में खनन संकियायें नहीं करेगा।
- (7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
- (8) नदी की जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
- (9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा वहां पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
- (10) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने का युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
- (11) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।

- (12) नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।
- (13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।
- (14) स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुये अन्य शर्तें जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जाये, खनन पट्टा विलेख में सम्मिलित की जा सकेंगी।

( शिव सहाय अवस्थी )  
जिलाधिकारी,  
झाँसी।

पत्रांक /30एम0एम0सी0/विज्ञप्ति-बालू/मोरम/2019-20 तद्दिनांक:  
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म, लखनऊ।
- 2- आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी।
- 3- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- शाखा प्रबन्धक, एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड, जी-25/26, तेज प्लाजा, 1, टी0एन0 सिंह रोड हजरतगंज, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना (उ0प्र0), लखनऊ।
- 6- जिला सूचना अधिकारी, झाँसी।

26/11/19  
जिलाधिकारी,  
झाँसी।

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।  
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 1555 / 30एम0एम0सी0 / 2019-20

दिनांक: 28 / 01 / 2020

मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन  
प्रो० श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार  
निवासी-म०नं० 168 / 19, नोनिया मोहाल,  
जनपद-बांदा।

खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु सहमति-पत्र  
(Letter of Intent for grant of mining lease)

जनपद-झाँसी में प्रवाहित होने वाली नदियों के तल में स्थित बालू/मौरम के क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथा संशोधित) के अध्याय-चार के नियम-23 के उप नियम(1) के प्राविधानों के अर्न्तगत इस कार्यालय के पत्र संख्या-1270 / 30एम0एम0सी0 / विज्ञप्ति-बालू/मौरम / 2019-20 दिनांक: 26.11.2019 के द्वारा रिक्त घोषित कर, शासनादेश संख्या-1875 / 86-2017-57 (सामान्य) / 2017 टी0सी0-1 दिनांक: 14.08.2017 सहपठित शासनादेश संख्या-2168 / 86-2019-57 (सा०मा०) / 2017 दिनांक: 09.10.2019 में उल्लिखित शर्तों के अधीन क्षेत्रों के व्यवस्थापन हेतु "ई-निविदा सह ई-नीलामी" की प्रक्रिया के अर्न्तगत इच्छुक एवं अर्ह व्यक्तियों से प्रस्ताव एवं बोली आमंत्रित की गयी थी।


2- उक्त कम में आपने जनपद-झाँसी की तहसील-मोंठ के ग्राम-सलेमापुर गाटा संख्या-321ग रकबा-10.00 हेक्टेयर में स्थित क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में उपलब्ध वार्षिक आंकलित मात्रा 50,000.00 घन मीटर बालू/मौरम के लिये सेवा प्रदाता एजेन्सी (एम0एस0टी0सी0) के माध्यम से रु० 952.00 (शब्दों में रुपये नौ सौ बावन) प्रति घन मीटर की बोली विज्ञप्ति दिनांक: 26.11.2019 में उल्लिखित शर्तों के अधीन दी है। आपके द्वारा दी गयी बोली सर्वोच्च एवं सन्तोषजनक पाये जाने पर निम्न शर्तों के अधीन एतद्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार की जाती है।

**शर्तें:**

- 1- विषयगत क्षेत्र में उपलब्ध आंकलित मात्रा 50,000.00 घन मीटर बालू/मौरम के लिये रु० 952.00 (शब्दों में रुपये नौ सौ बावन) प्रति घन मीटर की दर के अनुसार प्रथम वर्ष के लिये वार्षिक पट्टा धनराशि रु० 4,76,00,000.00 (शब्दों में रुपये चार करोड़ छियत्तर लाख) आगणित होती है, अतएव आप उक्त धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि रु० 1,19,00,000.00 (शब्दों में रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख) प्रतिभूति के मद में एवं 20 प्रतिशत धनराशि रु० 95,20,000.00 (शब्दों में रुपये पंचानवे लाख बीस हजार) प्रथम किश्त के मद में आपको इस सहमति-पत्र के निर्गमन के दिनांक से, दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करने होंगे। बयाने की जमा धनराशि (अर्नेष्ट मनी) प्रतिभूति के मद में समायोजित कर ली जायेगी। लेटर ऑफ

इन्टेन्ट जारी करने के दो कार्य दिवसों के अन्दर नियत धनराशि इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है अन्यथा धनराशि जमा करने में यदि आप असफल रहते हैं, तब आपके द्वारा अर्नेष्ट मनी के मद में जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में आप द्वारा कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तब वे विचारणीय नहीं होंगे।

- 2- उप खनिज का पट्टा पाँच वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किया जायेगा। प्रथम वर्ष की धनराशि रु0 4,76,00,000.00 (शब्दों में रुपये चार करोड़ छियत्तर लाख) पर अनुवर्ती वर्षों में 10 प्रतिशत की उत्तोल्लर वृद्धि सहित देय होगी।
- 3- प्रथम वर्ष के लिये शेष 80 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिए पट्टा धनराशि उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथा संशोधित) में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार को समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान करना अनिवार्य होगा। देय किश्त की धनराशि जमा न करने की दशा में नियमावली, 1963 के नियम-59 के अनुसार देय धनराशि पर नियमानुसार ब्याज सहित वसूली की जायेगी।
- 4- लेटर ऑफ इन्टेन्ट जारी होने के एक माह के अन्दर, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ के समक्ष खनन योजना अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियमावली, 1963 के नियम 59(1) के प्राविधानों के अर्न्तगत रु0 10,000-00 प्रति दिन की दर से शास्ति आपकी ऊपर अधिरोपित की जायेगी।
- 5- उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार पट्टाधारक क्षेत्र का सीमांकन करायेगा तथा नियम-35 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा एवं उनका अनुरक्षण करने हेतु सदैव उत्तरदायी होगा।
- 6- पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रिया तत्काल आरम्भ की जानी होगी।
- 7- नियमावली, 1963 के नियम 34(4) के अर्न्तगत पर्यावरण की स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान अपेक्षित समयावधि में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का परियोजना प्रस्तावक द्वारा समाधान किया जाना अनिवार्य होगा। नियम 34(4) के उल्लंघन की दशा में जिलाधिकारी नियमावली, 1963 के नियम 59(7) के अर्न्तगत जारी लेटर ऑफ इन्टेन्ट निरस्त कर सकेंगे।
- 8- नियमावली, 1963 के नियमावली, 1963 के नियम 34(5) के अर्न्तगत पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत होने के उपरान्त एक माह के भीतर खनन पट्टा विलेख का निष्पादन कराना अनिवार्य होगा। नियमावली, 1963 के नियम 34(5) के प्राविधानों के उल्लंघन की दशा में प्रस्तावक द्वारा प्रथम किश्त एवं प्रतिभूति के मद में जमा धनराशि, समपृहत करते हुये पूर्व में निर्गत लेटर ऑफ इन्टेन्ट निरस्त कर दिया जायेगा।
- 9- पट्टाधारक द्वारा नियम-35 के प्राविधानों के अर्न्तगत माइन्स क्लोजर प्लान तथा भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक: 14.09.2006 सपठित अधिसूचना दिनांक: 15.01.2016 तथा समय-समय पर पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे।



- 10- नियमावली-1963 के नियम-34 के अनुसार इस में सुनिश्चित एवं पुनर्वसन उपाय हेतु वित्तीय आस्वास्तन की वित्तीय स्थिति सही से पट्टेदार जमा कराये जाने हेतु उत्तरदायी होगा।
- 11- राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय पर निर्धारित कर व शुल्क तथा आयकर का दो प्रतिशत टी0सी0एस0(वर्तमान दर) एवं जिला खनिज फाउण्डेशन न्याय,इंजीनी में उपादान के रूप में रायल्टी की 10 प्रतिशत वित्तीय पट्टेदार नियमानुसार जमा करायेगा।
- 12- पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कॉर्डिनेट्स अंकित करायेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व में अपने स्वयं के व्यय पर पट्टेदार ऐसे सीमा चिह्न को और खनने लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न मानचित्र में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने को आवश्यक होगा।
- 13- पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से छैः माह के भीतर खनन सक्रियये पट्टेदार प्रारम्भ करेगें और तत्पश्चात जान-बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन सक्रियये का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण कुशल कारीगर की भाँति करेगें।
- 14- पट्टेदार नियम-35 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व किसी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकॉर्डिंग के योग्य चार आई0वी0आर0 सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाये जाने सहित चैक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगें। पट्टाधारक उक्त चैक पोस्ट/गेट पर आर0एम0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उप खनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई0-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित क्यू0आर0 कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप से अनुरखित रखेगा। पट्टेदार उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एम0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकॉर्डिंग को कम से कम तीस दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-66 के उप बन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकॉर्डिंग मांगे जान पर रिकॉर्ड को उपलब्ध करायेगें।
- 15- पट्टेदार प्रत्येक वाहन को ई0-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगें। प्रत्येक वाहन को निर्गत ई0-एम0एम0-11 जनित क्यू0आर0कोड को चैक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए पट्टेदार आर0एम0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली,1963 के नियम-59 के अन्तर्गत वह शास्ति का भागीदार होगा।
- 16- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक: 05.09.2018 के अनुपालन में पट्टा धारक द्वारा खदान के निकासी स्थल पर तौल मशीन लगावा कर निदेशालय में स्थापित कमाण्ड सेन्टर में प्रयुक्त आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स युक्त सॉफ्टवेयर में इन्टीग्रेट कराया जायेगा। इन्टीग्रेट में स्थित तौल मशीन में निम्न Features का होना आवश्यक है:-
- (1) The Weigh bridge device should use the MQTT protocol to transmit data.
- (2) The Weigh bridge device should transmit data over the internet to IOT infrastructure in cloud.
- 17- तीन मीटर की गहराई अथवा जल स्तर, में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें पट्टेदार द्वारा नहीं की जायेगी।
- 18- जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन कार्य पट्टेदार द्वारा नहीं किया जायेगा।
- 19- नदी की जल धारा में संक्शन लिफ्टर आदि मशीन द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

- 20- स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ अभिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य पट्टेदार द्वारा प्रदर्शित किया जायेगा।
- 21- यदि पट्टा धारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा के पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो पट्टेदार को अपना पत्र खनन के युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
- 22- उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-67 के अधीन भूमि के स्वामियों को प्रतिकर पाने का अधिकार होगा, जो भू-स्वामियों एवं पट्टेधारक के मध्य तय होगा।
- 23- पट्टेदार द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर कार्यालय में जमा करने के उपरान्त ही अनुमति प्राप्त कर खनन कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।
- 24- राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन हुआ है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है, तो वह पट्टा धारक को मान्य होगी।
- 25- माननीय उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।

मानचित्र संलग्न:

(शिव सहाय अवस्थी)  
जिलाधिकारी,  
झाँसी।

पत्रांक व तद्दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3. आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी वन प्रभगा, झाँसी।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी।
6. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी।
7. उप जिलाधिकारी, मोंट, झाँसी।
8. शाखा प्रबन्धक, एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड, द्वितीय तल, सेंटर कोर्ट बिल्डिंग, 3/सी, 5 पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ।

प्राप्त लिपि  
Neer Singh  
वास्ते

शुभ च-दूकशा

9453 478892

28/01/2020  
(शिव सहाय अवस्थी)  
जिलाधिकारी,  
झाँसी।

# State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

## Directorate of Environment, U.P.

Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010  
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543  
E-mail : docuplko@yahoo.com  
Website : www.seiaaup.com

To,

Smt. Shashi Devi,  
House No- 168/19, Noniya Mohal,  
District- Banda, U.P-210001

Ref. No. 602/Parya/SEIAA/5915-5489/2020Date: 06 January, 2021

**Sub: Environmental Clearance for Sand/Morrum Mining from River Betwa in Gata No.- 321 Ga at Village - Salemapur, Tehsil-Moth, District - Jhansi, U. P. (Leased Area : 10.0 ha), M/s Shubh Construction.**


Dear Sir,

Please refer to your application/letter dated 08-02-2020, 21-02-2020, 02-10-2020, 20-11-2020 & 21-12-2020 addressed to the Secretary, SEAC, Directorate of Environment, U.P., Lucknow on the subject as above. The State Level Expert Appraisal Committee considered the matter in its meetings held on dated 23-11-2020 and SEIAA meeting 22-12-2020.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s PARAMARSH (Servicing Environment and Development). The proponent, through the documents submitted and the presentation made informed the committee that:-

- The environmental clearance is sought for Sand/Morrum Mining from River Betwa in Gata No.- 321 Ga at Village -Salemapur, Tehsil-Moth, District - Jhansi, U. P. (Leased Area : 10.0 ha), M/s Shubh Construction.
- The terms of reference in the matter were issued by SEIAA, U.P. vide letter no. 114/Parya/SEAC/5489/2019 dated 08/06//2020.
- The public hearing was organized on 18/09/2020. Final EIA report submitted by the project proponent on 02/10/2020.
- Salient features of the project as submitted by the project proponent:

1.	On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/50833/2020
2.	File No. allotted by SEIAA, UP	5915/5489
3.	Name of Proponent	Smt. Shashi Devi
4.	Full correspondence address of proponent and mobile no.	Shashi Devi W/o ShriVirendra Kumar R/o-House. No. 168/19, NoniyaMohal, District - Banda, Uttar Pradesh
		Mobile no. -
		E mail ID - subhsand@gmail.com
5.	Name of Project	Environmental clearance of proposed riverbed Sand/Morrum Mining having lease area 10.0 ha (24.71 acre), along River Betwa in Gata No.- 321 Ga, at Village -Salemapur, Tehsil-Moth, District - Jhansi, U. P. of M/s Shubh Construction.
6.	Project Location (Plot. Khsra/Gata No.)	321 Ga
7.	Name of River	Betwa River
8.	Name of Village	Village -Salemapur, Tehsil-Moth, District - Jhansi, U. P.
9.	Tehsil	Moth
10.	District	Jhansi
11.	Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12.	Sanctioned Lease Area (in Ha.)	10.00 ha
13.	Max. & Min mRL within lease area	Max - 150.30 mRL Min - 147.0 mRL Zero mRL - 150.30mRL
14.	Pillar Coordinates (Verified by DMO)	Gata No.- 321 Ga, at Village -Salemapur, Tehsil-Moth, District - Jhansi, U. P. of M/s Shubh Construction.
		Total lease area
		Pillar Latitude Longitude
		25° 48' 04.57"N      79° 04' 57.25"E 25° 48' 24.19"N      79° 05' 03.97"E



E.C. for Sand/Morrum Mining from River Betwa in Gata No.- 321 Ga at Village -Salemapur, Tehsil-Moth, District - Jhansi, U. P.  
(Leased Area : 10.0 ha), M/s Shubh Construction.

		C	25° 48' 22.36"N	79° 05' 09.66"E
		D	25° 48' 03.13"N	79° 05' 02.41"E
		Submerged area		
Pillar	Latitude	Longitude		
S1	25° 48' 19.66"N	79° 04' 52.41"E		
S2	25° 48' 17.87"N	79° 05' 52.69"E		
S3	25° 48' 17.92"N	79° 05' 54.71"E		
S4	25° 48' 19.82"N	79° 05' 56.37"E		
S5	25° 48' 20.09"N	79° 04' 57.73"E		
S6	25° 48' 21.45"N	79° 05' 09.35"E		
S7	25° 48' 18.86"N	79° 05' 08.37"E		
S8	25° 48' 18.99"N	79° 05' 07.21"E		
S9	25° 48' 13.48"N	79° 04' 05.40"E		
S10	25° 48' 08.38"N	79° 05' 02.89"E		
S11	25° 48' 07.43"N	79° 05' 00.55"E		
S12	25° 48' 04.16"N	79° 05' 58.88"E		
S13	25° 48' 14.41"N	79° 04' 00.61"E		
S14	25° 48' 14.37"N	79° 05' 00.90"E		
S15	25° 48' 11.83"N	79° 05' 01.44"E		
S16	25° 48' 11.39"N	79° 05' 02.53"E		
S17	25° 48' 16.86"N	79° 04' 03.68"E		
S18	25° 48' 15.47"N	79° 05' 01.40"E		
15.	Total Geological Reserves	187260 m <sup>3</sup>		
16.	Total Mineable Reserve in LOI	50000 m <sup>3</sup> /annum		
17.	Total Proposed Production	250000 m <sup>3</sup> (5 years)		
18.	Proposed Production /year	50000 m <sup>3</sup> /annum		
19.	Sanctioned Period of Mine lease	5 years		
20.	Production of mine/day	200 m <sup>3</sup> /day		
21.	Method of Mining	Opencast Semi-mechanized		
22.	No. of working days	250		
23.	Working hours/day	8		
24.	No. of worker	30		
25.	No. of vehicles movement/day	25		
26.	Type of Land	Govt./Non Forest Land (riverbed)		
27.	Ultimate of Depth of Mining	2.0m		
28.	Nearest metalled road from site	1.0 km		
29.	Water Requirement	PURPOSE		
		Drinking	- 0.30 KLD	
		Suppression of dust	- 10.30 KLD	
		Plantation	- 0.40 KLD	
		Others (if any)	- 0.00 KLD	
		Total	- 11.0 KLD	
30.	Name of QCI Accredited Consultant with QCI No and period of validity.	PARAMARSH (Servicing Environment and Development) NABET/EIA/1821 RA 0120 Valid till - 01/05/2021		
31.	Any litigation pending against the project or land in any court	No		
32.	Details of 500 m Cluster Certificate verified by Mining Officer	Letter No - 1562/30MMC/ (2019-20) dated - 28/01/2020		
33.	Details of Lease Area in approved DSR	Serial no. 10 Page no. 58		
34.	Project Cost	90.00 lacs/annum		
35.	Proposed CER cost	1.80 lacs/annum		
36.	Proposed EMP cost	12.60 lacs		

**E.C. for Sand/Morrum Mining from River Betwa in Gata No.- 321 Ga at Village -Safemapur, Tehsil-Moth, District - Jhansi, U. P.**  
(Leased Area : 10.0 ha), M/s Shubh Construction.

37.	Length and breadth of Haul Road	Length – 0.90 km Breadth – 6.00 m Temporary culvert on haul road shall be made for transportation
38.	No. of Trees to be Planted	400

5. The mining would be restricted to unsaturated zone only above the phreatic water table and will not intersect the ground water table at any point of time.
6. The mining operation will not be carried out in safety zone of any bridge or embankment or in eco-fragile zone such as habitat of any wild fauna.
7. There is no litigation pending in any court regarding this project.
8. The project proposal falls under category-1(a) of EIA Notification, 2006 (as amended).

Based on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee meeting held on 23-11-2020 on the above said project, the State Level Environment Impact Assessment Authority meetings held on dated 22-12-2020 has decided to grant the Environmental Clearance to the title project for collection of 50000 m<sup>3</sup>/annum is proposed lease area 10 ha subject to effective implementation of the following General Conditions and specific conditions:

**General condition:**

1. This environmental clearance is subject to allotment of mining lease in favour of project proponent by District Administration/Mining Department.
2. Forest clearance shall be taken by the proponent as necessary under law.
3. Any change in mining area, khasra numbers, entailing capacity addition with change in process and or mining technology, modernization and scope of working shall again require prior Environmental Clearance as per the provisions of EIA Notification, 2006 (as amended).
4. Precise mining area will be jointly demarcated at site by project proponent and officials of Mining/Revenue department prior to starting of mining operations. Such site plan, duly verified by competent authority along-with copy of the Environmental Clearance letter will be displayed on a hoarding/board at the site. A copy of site plan will also be submitted to SEIAA within a period of 02 months.
5. Mining and loading shall be done only within day hours time.
6. No mining shall be carried out in the safety zone of any bridge and/or embankment.
7. It shall be ensured that standards related to ambient air quality/effluent as prescribed by the Ministry of Environment & Forests are strictly complied with. Water sprinklers and other dust control majors should be applied to take care of dust generated during mining operation. Sprinkling of water on haul roads to control dust will be ensured by the project proponent.
8. All necessary statutory clearances shall be obtained before start of mining operations. If this condition is violated, the clearance shall be automatically deemed to have been cancelled.
9. Parking of vehicles should not be made on public places.
10. No tree-felling will be done in the leased area, except only with the permission of Forest Department.
11. No wildlife habitat will be infringed.
12. It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed /basin, where mining is carried out.
13. It shall be ensured that mining operation of Sand/Moram will not in any way disturb the, velocity and flow pattern of the river water significantly.
14. It shall be ensured that there is no fauna dependant on the river bed or areas close to mining for its nesting. A report on the same, vetted by the competent authority shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within 02 months.
15. Primary survey of flora and fauna shall be carried out and data shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within six months.
16. Hydro-geological study shall be carried out by a reputed organization/institute within six months and establish that mining in the said area will not adversely affect the ground water regime. The report shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within six months. In case adverse impact is observed /anticipated, mining shall not be carried out.
17. Adequate protection against dust and other environmental pollution due to mining shall be made so that the habitations (if any) close by the lease area are not adversely affected. The status of implementation of measures taken shall be reported to the RO, UPPCB and SEIAA and this activity should be completed before the start of sand mining.
18. Need-based assessment for the nearby villages shall be conducted to study economic measures which can help in improving the quality of life of economically weaker section of society. Income generating projects/tools such as development of fodder farm, fruit bearing orchards, vocational training etc. can form a part of such program me. The project proponent shall provide separate budget for community development activities and income generating programmes.



E.C. for Sand/Morrum Mining from River Betwa in Gata No.- 321 Ga at Village -Salemapur, Tehsil-Moth, District - Jhansi, U. P., (Leased Area : 10.0 ha), M/s Shubh Construction.

19. Green cover development shall be carried out following CPCB guidelines including selection of plant species and in consultation with the local DFO/Horticulture Officer.
20. Separate stock piles shall be maintained for excavated top soil, if any, and the top soil should be utilized for green cover/tree plantation.
21. Dispensary facilities for first-aid shall be provided at site.
22. The District Mining Officer should quarterly monitor compliance of the stipulated conditions. The project proponent will extend full cooperation to the District Mining Officer by furnishing the requisite data/information/monitoring reports. In case of any violations of stipulated conditions the District Mining Officer will report to SEIAA.
23. The project proponent shall submit six monthly reports on the status of compliance of the stipulated environmental clearance conditions including results of monitored data (both in hard & soft copies) to the SEIAA, the District Officer and the respective Regional Office of the State Pollution Control Board by 1st June and 1st December every year.
24. A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, ZilaParisad/ Municipal Corporation and Urban Local Body.
25. Transportation of materials shall be done by covering the trucks / tractors with tarpaulin or other suitable mechanism to avoid fugitive emissions and spillage of mineral/dust.
26. Waste water, from temporary habitation campus be properly collected & treated before discharging into water bodies the treated effluent should conform to the standards prescribed by MoEF/CPCB.
27. Measures shall be taken for control of noise level to the limits prescribed by C.P.C.B.
28. Special Measures shall be adopted to protect the nearby settlements from the impacts of mining activities. Maintenance of Village roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken, shall be carried-out by the project proponent regularly at his own expenses.
29. Measure for prevention & control of soil erosion and management of silt shall be undertaken. Protection of dumps against erosion, if any, shall be carried-out with geo textile matting or other suitable material.
30. Under corporate social responsibility a sum of 5% of the total project cost or total income whichever is higher is to be earmarked for total lease period. Its budget is to be separately maintained. CER component shall be prepared based on need of local habitant. Income generating measures which can help in upliftment of poor section of society, consistent with the traditional skills of the people shall be identified. The programme can include activities such as development of fodder farm, fruit bearing orchards, free distribution of smokeless Chula etc.
31. Possibility for adopting nearest three villages shall be explored and details of civic amenities such as roads, drinking water etc proposed to be provided at the project proponent's expenses shall be submitted within 02 months from the date of issuance of Environment Clearance.
32. The funds earmarked for environmental protection measures should be kept in separate account and should not be diverted for other purpose. Year wise expenditure should be reported to the Ministry of Environment and Forests and its Regional Office located at Lucknow, SEIAA, U.P and UPPCB.
33. Action plan with respect to suggestion/improvement and recommendations made and agreed during Public Hearing shall be submitted to the District mines Officer, concern Regional Officer of UPPCB and SEIAA within 02 months.
34. Environmental clearance is subject to obtaining clearance under the Wildlife (Protection) Act, 1972 from the competent authority, if applicable to this project.
35. The proponent shall observe every 15 day for nesting of any turtle in the area. Based on the observations so made, if turtle nesting is observed, necessary safeguard measures shall be taken in consultation with the State Wildlife Department. For the purpose, awareness shall be created amongst the workers about the nesting sites so that such sites, if any, are identified by the workers during operations of the mine for taking required safeguard measures. In this regards the safety notified zone should be left so that the habitat/nesting area is undisturbed.
36. The project proponent shall undertake adequate safeguard measures during extraction of river bed material and ensure that due to this activity the hydro geological regime of the surrounding area shall not be affected.
37. The project proponent shall obtain necessary prior permission of the competent Authorities for withdrawal of requisite quantity of water (surface water and groundwater), required for the project.
38. Appropriate mitigative measures shall be taken to prevent pollution of the river in consultation with the State Pollution Control Board. It shall be ensured that there is no leakage of oil and grease in the river from the vehicles used for transportation.
39. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. The vehicles carrying the mineral shall not be overloaded.
40. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche




E.C. for Sand/Morrum Mining from River Betwa in Gata No. - 321 Ga at Village - Salemapur, Tehsil - Moth, District - Jhansi, U. P.  
(Leased Area : 10.0 ha), M/s Shubh Construction,

- etc. (MoEF circular Dated : 22-09-2008 regarding stipulation of condition to improve the living conditions of construction labour at site).
41. Personnel working in dusty areas should wear protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and information on safety and health aspects. Occupational health surveillance program of the workers should be undertaken periodically to observe any contractions due to exposure to dust and take corrective measures, if needed.
  42. A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, Zila Parishad/ Municipal Corporation, Urban Local Body and the Local NGO, if any, from whom suggestions/ representations, if any, were received while processing the proposal. The clearance letter shall also be put on the website of the Company by the proponent.
  43. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of environmental clearance conditions and shall also be sent to the Regional Office of the Ministry of Environment and Forests, Lucknow by e-mail.
  44. The green cover development/tree plantation is to be done in an area equivalent to 20% of the total leased area either on river bank or along road side (Avenue Plantation).
  45. Debris from the river bed will be collected and stored at secured place and may be utilized for strengthen the embankment.
  46. Safety measures to be taken for the safety of the people working at the mine lease area should be given, which would also include measure for treatment of bite of poisonous reptile/insect like snake.
  47. Periodical and Annual medical checkup of workers as per Mines Act and they should be covered under ESI as per rule.

Specific Conditions:

1. Directions/suggestions given during public hearing and commitment made by the project proponent should be strictly complied.
2. The project proponent shall obtain the forest clearance and permission of Central and State Government as per law under the provisions of Forest (conservation) Act, 1980 before the start of work.
3. The mining lease holders shall, after ceasing mining operations, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora fauna etc.
4. If the proposed project is situated in notified area of ground water extraction, where creation of new wells for ground water extraction is not allowed, requirement of fresh water shall be met from alternate water sources other than ground water or legally valid source and permission from the competent authority shall be obtained to use it.
5. Before plantation in a selected area the soil testing should be done and species to be chosen accordingly.
6. At the time of operation, project proponent will comply with all the guidelines issued by Government of India/State Govt./District Administration related to Covid-19.
7. Environment management in according to environmental status and impact of the project.
8. Selection of plants for green belt should be on the basis of pollution removal index.
9. No mining activity should be carried out in-stream channel as per SSMMG, 2016.
10. Pakkamotorable haul road to be maintained by the project proponent.
11. A separate Environmental Management Cell with suitable qualified personnel shall be set-up under the control of a Senior Executive, who will report directly to the Head of the Organization.
12. Permission from the competent authority regarding evacuation route should be taken.
13. Project proponent should ensure survival of tree saplings. Mortality should be replaced from time to time.
14. Site Pit photographs should be submitted with date, time and point-coordinate within 15 days.
15. One month monitoring report of the area for air quality, water quality, Noise level. Besides flora & fauna should be examined twice a week and be submitted within 45 days for a record.
16. Provision for cylinder to workers should be made for cooking.
17. The capacity of trucks/tractor for loading purpose will be in tonnes as per Transport Department applicable norms and standard fixed by the Government.
18. Provide suitable mask to the workers.
19. Approach road kaccha is to be made motarable and tree saplings to be planted on both sides of the road.
20. Indigenous plants should be planted according to CPCB guidelines and in consultation with local Divisional Forest Officer.
21. The project proponent shall in 2 years conduct detailed re-vegetation study duly authenticated by a QCI-NABET accredited consultant, and the District Mines Officer.
22. Provision for two toilets and hand pumps should be made at mining site.
23. Drinking water for workers would be provided by tankers.




E.C. for Sand/Morrum Mining from River Betwa in Gata No.- 321 Ga at Village -Salemapur, Tehsil-Moth, District - Jhansi, U. P.  
(Leased Area : 10.0 ha), M/s Shubbh Construction.

24. Mining should be done by Bar scalping methods extraction (typically 0.3 -0.6 m or 1 - 2 ft) as per sustainable sand mining management guidelines 2016.
25. A buffer/safe zone shall be maintained from the habitation as per mining guidelines.
26. Corporate Environmental Responsibility (CER) plan shall be prepared by the project proponent and the details of the various heads of expenditure to be submitted as per the guidelines provided in the recent CER notification No. 22-65/2017-IA.III dated 01/05/2018.
27. Health/Insurance card, Medical claim, regular health check-up camps, facilities shall be provided to the regular/temporary/Contractual or any base workers. Copy of receipt shall be produced to the Directorate of Environment along with the compliance report.
28. Measure for conservation of water through rainwater harvesting and cleaning and maintenance of natural surface water bodies of the nearby areas may be considered as one of the activity in CER.
29. The excavated mining material should be carried and transported in such a way that no obstruction to the free flow of water takes place. Suitable measure should be taken and details to be provided to concern Department.
30. Width of the haul road shall be more than 6 meter.
31. Submit annual replenishment report certified by an authorized agency. In case the replenishment is lower than the approved rate of production, then the mining activity / production levels shall be decreased / stopped accordingly till the replenishment is completed.
32. The project proponent shall ensure that if the project area falls within the eco-sensitive zone of National park/ Sanctuary prior permission of statutory committee of National board for wild life under the provision of Wildlife (Protection) Act, 1972 shall be obtained before commencement of work.
33. If in future this lease area becomes part of cluster of equal to or more than 05 ha. then additional conditions based on the EIA shall be imposed. The lease holder shall mandatorily follow cluster conditions otherwise it will amount to violation of E.C. conditions. If the certificate related to cluster provided by the competent authority is found false or incorrect then punitive actions as per law shall be initiated against the authority issuing the cluster certificate.
34. The Environmental clearance will be co-terminus with the mining lease period.
35. Project falling within 10 KM area of Wild Life Sanctuary is to obtain a clearance from National Board Wild Life (NBWL) even if the eco-sensitive zone is not earmarked.
36. To avoid ponding effect and adverse environmental conditions for sand mining in area, progressive mining should be done as per sustainable sand mining management guidelines 2016.
37. Geo coordinates should be verified by Director, DGM/District Magistrate/Regional Mining Officer/NHA and should be submitted to SEIAA/SEAC, Secretariat as earliest.
38. In case it has been found that the E.C. obtained by providing incorrect information, submitting that the distance between the two adjoining mines is greater than 500mt. and area is less than 05ha, but factually the distance is less than 500 mt and the mine is located in cluster of area equal or more than 05ha, the E.C issued will stand revoked.
39. The project proponent shall in 2 years conduct detailed replenishment study duly authenticated by a QCI-NABET accredited consultant, and the District Mines Officer which shall form the basis for midterm review of conditions of Environmental Clearance.
40. The mining work will be open-cast and manual/semi mechanized (subject to order of Hon'ble NGT/Hon'ble Courts (s)). Heavy machine such as excavator, scooper etc. should not be employed for mining purpose. No drilling/blasting should be involved at any stage.
41. It shall be ensured that there shall be no mining of any type within 03 m or 10% of the width which-ever is less, shall be left on both the banks of precise area to control and avoid erosion of river bank. The mining is confined to extraction of sand/moram from the river bank only.
42. The project proponent shall undertake adequate safeguard measures during extraction of river bank material and ensure that due to this activity the hydro-geological regime of the surrounding area shall not be affected.
43. The project proponent shall adhere to mining in conformity to plan submitted for the mine lease conditions and the Rules prescribed in this regard clearly showing the no work zone in the mine lease i.e. the distance from the bank of river to be left un-worked (Non mining area), distance from the bridges etc. It shall be ensured that no mining shall be carried out during the monsoon season.
44. The project proponent shall ensure that wherever deployment of labour attracts the Mines Act, the provision thereof shall be strictly followed.
45. The project proponent will provide personal protective equipment (PPE) as required, also provide adequate training and information on safety and health aspects. Periodical medical examination of the workers engaged in the project shall be carried out and records maintained. For the purpose, schedule of health examination of the workers should be drawn and followed accordingly.



E.C. for Sand/Morrum Mining from River Betwa in Gata No.- 321 Ga at Village - Salemapur, Tehsil-Moth, District - Jhansi, U. P.  
(Leased Area : 10.0 ha), M/s Shubh Construction.

46. The critical parameters such as PM10, PM2.5, SO2 and NOx in the ambient air within the impact zone shall be monitored periodically. Further, quality of discharged water if any shall also be monitored [(TDS, DO, pH, Fecal Coliform and Total Suspended Solids (TSS)).
  47. Effective safeguard measures, such as regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high levels of particulate matter such as loading and unloading point and all transfer points. Extensive water sprinkling shall be carried out on haul roads.
  48. It should be ensured that the Ambient Air Quality parameters conform to the norms prescribed by the Central Pollution Control Board in this regard.
  49. The extended mining scheme will be submitted by the proponent before expiry of present mining plan.
  50. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
  51. Four ambient air quality-monitoring stations should be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring PM10, PM2.5, SO2 and NOx. Location of the stations should be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets and frequency of monitoring should be undertaken in consultation with the State Pollution Control Board.
  52. Common road for transportation of mineral is to be maintained collectively. Total cost will be shared/worked out on the basis of lease area among users.
  53. Proponent will provide adequate sanitary facility in the form of mobile toilets to the labours engaged for the project work.
  54. Solid waste material viz., gutkha pouches, plastic bags, glasses etc. to be generated during project activity will be separately storage in bins and managed as per Solid Waste Management rules.
  55. Green area/belt to be developed along haulage road in consultation of Gram Sabha/Panchyat.
  56. Natural/customary paths used by villagers should not be obstructed at any time by the activities proposed under the project.
  57. Digital processing of the entire lease area in the district using remote sensing technique should be done regularly once in three years for monitoring the change of river course by Directorate of Geology and Mining, Govt. of Uttar Pradesh. The record of such study to be maintained and report be submitted to Regional office of MoEF, SEIAA, U.P. and UPPCB.
  58. A copy of clearance letter will be marked to concerned Panchayat / local NGO, if any, from whom suggestion / representation has been received while processing the proposal. The clearance letter shall also be put on the website of the company.
  59. State Pollution Control Board shall display a copy of the clearance letter at the Regional office, District Industry Centre and Collector's office/Tehsildar's Office for 30 days.
  60. The project authorities shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at web site of the SEIAA at <http://www.seiaaup.in> and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office of the Ministry located in Lucknow, CPCB, State PCB.
  61. The MoEF/SEIAA or any other competent authority may alter/modify the above conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
  62. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
  63. Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 11 of the National Environment Appellate Authority Act, 1997.
  64. Waste water from potable use be collected and reused for sprinkling.
  65. During the school opening and closing time vehicle movement will be restricted.
  66. A width of not less than 50 meter or 10% width of river can be restricted for mining activities from river bank. A condition can be imposed that mining will be done from river activities from river bank. You shall also ensure that the proposed site is not a part of any no-development zone as required/prescribed/identified under law. In case of violation, this permission shall automatically deem to be cancelled. Also, in the event of any dispute on ownership or land use of the proposed site, this clearance shall automatically deem to be cancelled.
- Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.
- The above stipulated conditions will be enforced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and rules made there under and also any other orders passed by the Hon'ble Courts of Law relating to the subject matter.



E.C. for Sand/Morrum Mining from River Betwa in Gata No.- 321 Ga at Village -Salemapur, Tehsil-Moth, District - Jhansi, U. P.  
(Leased Area : 10.0 ha), M/s Shubh Construction.

The project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 months of issuance of this clearance. The SEIAA/MoEF reserves the right to revoke the environmental clearance, if conditions stipulated are not implemented to the satisfaction of SEIAA/MoEF. SEIAA may impose additional environmental conditions or modify the existing ones, if necessary.

This is to request you to take further necessary action in matter as per provisions of Gazette Notification No. S.O. 1533(E) dated 14/09/2006, as amended and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.



(Ashish Tiwari)  
 Member Secretary, SEIAA

Ref. No...../Parya/SEIAA/5915-5489/2019 Dated: As above

**Copy for Information and necessary action to:**

1. The Principal Secretary, Environment, U.P. Govt., Lucknow.
2. Advisor, IA Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi.
3. Additional Director, Regional Office, Ministry of Environment & Forests, (Central Region), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow.
4. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, TC-12V, Paryavaran Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow.
5. District Magistrate, Jhansi, U.P.
6. Director, Department of Geology & Mining, U.P. Lucknow.
7. Copy for Web Master/Guard file.

(Ashish Tiwari)  
 Member Secretary, SEIAA



### Uttar Pradesh Pollution Control Board

Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

201665/UPPCB/Jhansi(UPPCBRO)/CTO/both/JHANSI/2024

Date: 05/02/2024

To,

M/s

**MS SHUBH CONSTRUCTION**

Area 10.00 Ha, Gata No. 321Ga, Village Salemapur, Tehsil Moth,  
District Jhansi (U.P.) ,JHANSI,210001

Application Id-  
24580543

**Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981**

CCA is hereby granted to **MS SHUBH CONSTRUCTION** located at **Area 10.00 Ha, Gata No. 321Ga, Village Salemapur, Tehsil Moth, District Jhansi (U.P.) ,JHANSI,210001.** subject to the provisions of the **Water Act, Air Act** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions

- :-
1. This CCA MS SHUBH CONSTRUCTION granted for the period from 05/02/2024 to 31/12/2028 and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	Sand/Morrum	50000	Cubic Meters/Year

**2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-**

- (i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Domestic	1.0 kld	Septic Tank	soak pit

- (ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

- (iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

**Industrial Effluent Quality Standard**

S.No.	Parameter	Standard
-------	-----------	----------

- (iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality. In case of stoppage of functioning of STP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(v) The treated sewage shall be reused in gardening as far as possible. The STP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards
-------	------------	-----------

### 3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

#### Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
1	Dust emission during manual mining, transportation and loading/unloading of Sand/Morrum			Particulate Matter	Water sprinkling system and Green Belt for controlling dust emission

#### Emission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards
1		Particulate Matter	Ambient Air Standard as per E(P) Act 1986

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

### 4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-

(i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.

(ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.

5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will result in legal action under the aforesaid Acts and Rules.
7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-<http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx> for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.
8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

**General Conditions:-**

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated Industrial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.
7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

**Specific Conditions:-**

1. This consent is valid for production capacity Sand/Morrum- 50000 Cu meter/year by opencast and semi mechanized mining in 10.0 Hectare Lease area at Gata No. 321 Ga, Village Salemapur, Tehsil Moth, District Jhansi (U.P.)
2. Mining unit shall comply with the conditions of Environmental Clearance issued by State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) vide letter No. 602/Parya/SEIAA/5915-5489/2020 dated 06.01.2021 and submit its compliance report to UPPCB.
3. If the lease agreement expires prior to 31-12-2028, then the validity of this CTO shall stand expired simultaneously with the expiry of mining lease.
4. Mining shall be done as per EC issued by SEIAA and directions given by Mining Department/District Administration.
5. The unit shall submit the latest copy of Audited Balance Sheet/C.A. Certificate (Fixed Assets+ Current Assets - Current Liabilities) for verification of the Consent fee payable by the industry within 15 days. In case CTO fee dues then it shall be submitted to the Board immediately.
6. Unit shall develop and maintain green belt as per the conditions of Environmental Clearance.
7. Unit shall not withdrawal ground water for any industrial activity without obtaining necessary permission from UPGWA.
8. The domestic effluent shall be treated through septic tank/soak pit or provide mobile toilet facility. Industry shall maintain ZLD.
9. Unit shall make water sprinkling arrangement through Tankers for dust suppression at different sources of dust emission during mining, transportation, loading and unloading of Sand/Morrum.
10. Unit should operate and maintain installed water sprinkler system effectively and continuously to achieve the standards prescribed under E(P) Rules, 1986.
11. Unit shall submit ambient air monitoring reports of NABL accredited laboratory on quarterly basis to the Board.
12. All trucks, tractors used in transportation of Sand/Morrum shall be covered by canvas sheet to prevent dust emission.
13. Water will be sprayed after loading activity (if Sand/Morrum collected could be dry condition)
14. The dust suppression measures like water spraying will be done on the haul roads and working areas.
15. Industry should comply with the provisions of Hazardous and Other waste (Management & Trans boundary Movement) Rules 2016.
16. Solid waste should be disposed in such manner, so that no water, air and soil pollution takes place.
17. Industry shall abide by directions given by Hon'ble Court, Hon'ble NGT, MoEF&CC, Central Pollution Control Board, UPPCB and District Administration for protection and safe guard of environment from time to time.
18. Consent fees if revised, shall be payable by industry from the date of its applicability.
19. Industry shall comply with the relevant provisions of Environmental Laws.
20. If closure order is issued by CPCB or UPPCB against the unit, then CTO issued earlier will remain suspended during the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will automatically be effective with additional conditions mentioned in the closure revocation order.

**Rajendra  
Singh**

Digitally signed by  
Rajendra Singh  
Date: 2024.02.09  
05:47:46 +05'30'

**Chief Environmental Officer (circle-2)**

Copy to:

Regional Officer, UPPCB, Jhansi with direction to send the compliance report of CTO conditions on quarterly basis

Rajendra Singh Digitally signed by Rajendra Singh  
Date: 2024.02.09 05:48:07 +05'30'

Chief Environmental Officer (circle-2)



**मिशन LiFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली**  
(Lifestyle For Environment)  
**जनसहभागिता का सन्देश**



- स्वच्छता - देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें - एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट/अपशिष्ट फेकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई - वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइक्लिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाने समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्थाक्रीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रैफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |

## कार्यालय जिलाधिकारी, झॉंसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 1831 / 30एम0एम0सी0 / 2022-23

दिनांक: 22.03.2023

### नोटिस

मैसर्स शुभ कन्स्ट्रक्शन  
प्रो० श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार  
निवासी म०न०-168/19 नोनिया मोहाल कटरा,  
जनपद-बांदा।

जनपद-झॉंसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-सलेमापुर के आराजी संख्या-321ग में 10.000 हे० क्षेत्र पर बेतय नदी तल स्थित बालू/मोरम का 05 वर्षीय खनन पट्टा आपके पक्ष में स्वीकृत है। दिनांक: 03.03.2023 को राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किये गये आकरिमक निरीक्षण के दौरान उक्त पट्टा क्षेत्र में निम्नलिखित अनियमितता पायी गयी जिसपर उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत देय शास्ति की धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	निरीक्षण के दौरान पट्टा क्षेत्र में पायी गयी अनियमितता	नियमावली, 2021 के नियम-60 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत विहित शर्तों का उल्लंघन करने के प्रति अवसर अथवा प्रति दिवस पर देय शास्ति की धनराशि (रु० में)	जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार विहित शर्तों का उल्लंघन करने के सन्दर्भ में आंकलन की गयी अवसरों यानि दिवसों की संख्या	07 दिवस में देय शास्ति की कुल धनराशि (रु० में)
1	2	3	4	5
1	अनुमोदित खनन योजना के अनुरूप खनन कार्य किया जाता हुआ नहीं पाया गया।	50,000.00	07	3,50,000.00
2	सीमा स्तम्भों का सम्यक अनुरक्षण किया हुआ नहीं पाया गया।	25,000.00	07	1,75,000.00
योग				5,25,000.00

अतः आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नोटिस प्राप्त के 03 दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार देय शास्ति की कुल धनराशि रु० 5,25,000.00 खनिज के निर्धारित लेखशीर्षक "0853, अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग" में जमा कर ट्रेजरी चालान की मूलप्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

उपरोक्त के सन्दर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में आपको यह भी सूचित करना है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर Last date of inspection यानि दिनांक: 03.03.2023 से शर्तों का उल्लंघन करने के अवसरों अथवा दिवसों की संख्या की गणना करते हुए देय शास्ति की कुल धनराशि वसूल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

पत्रांक व तद् दिनांक:

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, झॉंसी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), झॉंसी।

ज्येष्ठ खान अधिकारी,  
झॉंसी।

ज्येष्ठ खान अधिकारी,  
झॉंसी।

# CHALLAN

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ०प्र०)

Government of Uttar Pradesh

Uttar Pradesh Treasury Form-209(1) - Challan for Depositing Money  
[To be submitted through Net-Payment]

Challan No.: <b>AKV230019730</b>	Challan Date: <b>13/04/2023</b>
Assessment Year: <b>2023-2024</b>	Tax Period: <b>ONETIME</b>
Name of the Bank:	
Unique Id:	
Depositor Name:	<b>Shashi devi</b>
Depositor Address:	<b>Banda</b>

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
085300102010000	खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क	1	525000.00
	Totals of the above heads	--	525000.00

A SUM OF Rs. 525000.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[ THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION ]-- ON HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.  
(Depositor Remarks->तहसील मोठ स्थित ग्राम सलेमापुर के आ०सं० 321ग में रकवा 10 000 हे० शास्ती शुल्क)  
THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPACQVZVA2, Scroll Date:-15/04/2023

**FIRST INFORMATION REPORT**  
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): झांसी P.S. (थाना): पूछ Year (वर्ष): 2023  
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0088 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 05/06/2023 10:19 घंटे

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	431
2	भा दं सं 1860	432
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
4	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
5	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	3(1)
6	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	58
7	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	60(4)
8	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	72(1)

- 9 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान<sup>2</sup>  
निवारण अधिनियम, 1984
- 10 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान<sup>3</sup>  
निवारण अधिनियम, 1984

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): रविवार Date from (दिनांक से): 04/06/2023 Date To (दिनांक तक): 04/06/2023

Time Period (समय अवधि): पहर 7 Time From (समय से): 18:15 बजे Time To (समय तक): 18:15 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 05/06/2023 Time (समय): 10:19 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 019 Date and Time (दिनांक और समय): 05/06/2023 10:19 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 05 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): आराजी संख्या-321ग क्षेत्रफल, 10 एकड़ बहद ग्राम सलेमापुर, तहसील मोठ

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a)

Name (नाम): श्री रंजन कुमार वर्मा खनिज मोहररि

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1972 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
-----------------	------------------------------	---------------

1 वर्तमान पता

जिला खनन कार्यालय, झांसीउत्तर प्रदेश, भारत

2 स्थायी पता

जिला खनन कार्यालय, झांसीउत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9935165666

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	मेसर्स शुभ कन्सट्रक्शन प्रो० श्रीमती शशि देवी		पत्नी का नाम : श्री वीरेन्द्र कुमार	1. म०नं० 168/19- नोनिया माहोल कटरा,बाँदा,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल प्रार्थना पत्र .....सेवा में थानाध्यक्ष पूँछ, जनपद झांसी । विषय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के सम्बन्ध में । महोदय, कृपया सूचित करना है कि कतिपय शिकायतों के आधार पर दिनांक 04.06.2023 को 6.15 PM पर होमगार्ड श्री रामाधीन (HG477) एवं श्री प्रकाश चन्द्र (HG515) के साथ खनिज प्रवर्तन दल द्वारा जनपद झांसी के तहसील मोठ स्थित ग्राम सलेमापुर के आराजी संख्या- 321ग में 10.00 एकड़ क्षेत्र पर 05 वर्ष (दिनांक 16.01.2021 से 15.01.2026 तक) की अवधि हेतु मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन प्रो० श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार निवासी मो०न० 168/19 नोनिया मोहाल, कटरा जनपद बांदा के पक्ष में नीलामी पट्टा पर स्वीकृत क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान मौके पर बालू/मोरम का खनन व परिवहन का कार्य बन्द पाया गया परन्तु उक्त क्षेत्र में बालू/मोरम के खनन कार्य में सक्शन मशीन/लिफ्टर प्रयोग किये जाने के चिन्ह पाये गये। अनुज्ञा पत्र धारक का उक्त कृत्य 30प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 3(1), 42(ज), 58, 60(4), 72(1) तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 431 व 432 के साथ साथ सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम -1984 की धारा 2 व 3 के अधीन दण्डनीय अपराध है । अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त नीलामी पट्टाधारक मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन प्रो० श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार के विरुद्ध उपरोक्त नियमों /धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करे । दिनांक 05/06/2023 SD अंग्रेजी अपठनीय 05/6/23 रंजन कुमार वर्मा खनिज मोहरीर, जिला खनन कार्यालय, झाँसी । मोबाइल न० 9935165666 श्री रामाधीन मो०न० 9621519210, श्री प्रकाश चन्द्र मो०न० 8400370906 SD लेखक मै का०मु० 216 आदर्श वर्मा प्रमाणित करता हूँ की प्रार्थना पत्र की नकल शब्द ब शब्द अक्षरशः अंकित की गयी है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का Rank (पद): उपनिरीक्षक/  
नाम): MAHESH CHANDRA अवर निरीक्षक

No. (सं.): 912412221 to take up the Investigation (को जांच  
अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण  
इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly  
recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई  
माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge,  
Police Station (थाना प्रभारी के  
हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression  
of the complainant / informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के  
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): SURENDRA  
PRATAP SINGH

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 152392288

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और  
समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना  
रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the  
suspect/accused: ( If known / seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
------------------	------------	---	---------------	----------------------------	------------------	--------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	महिला					

चेचक: नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/ Dialect (भाषा/बोली)

Place of (का स्थान)

Others (अन्य)

Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	
				19	
					20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

कार्यालय जिलाधिकारी, झॉंसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:-/657/30एम0एम0सी0/2023-24

दिनांक: 23/11/2023

नोटिस

मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन,  
प्रो० श्रीमती शशि देवी  
पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार  
निवासी-म०न०-168/19 नोनिया मोहाल,  
कटरा जनपद-बांदा।

जनपद-झॉंसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-सलेमापुर के आराजी संख्या-321ग में 10.000 हे० क्षेत्र पर बेतवा नदी तल स्थित बालू/मोरम का 05 वर्षीय खनन पट्टा आपके पक्ष में स्वीकृत है। अधोहस्ताक्षरी के मौखिक निर्देश के क्रम में दिनांक: 21.11.2023 को खान निरीक्षक, झॉंसी एवं सर्वेक्षक, खनन विभाग, झॉंसी द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लगभग 124.00 घनमीटर का अवैध खनन किया जाना पाया गया।

उक्त के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि निरीक्षण दल द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लिखित अवैध खनन की मात्रा (124.00 घनमीटर) के सापेक्ष शमन शुल्क के रूप में रू० 6,11,600.00 (जिसमें रॉयल्टी के रूप में रू० 18,600.00 व खनिमुख मूल्य के रूप में रू० 93,000.00 एवं शास्ती के रूप में रू० 5,00,000.00 सम्मिलित है) की धनराशि का जमा किया जाना है।

अतः आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 03 दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार देय शास्ति की कुल धनराशि रू० 6,11,600.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "0853, अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग" में जमा कर ट्रेजरी चालान की मूलप्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

ज्येष्ठ खान अधिकारी,  
झॉंसी।  
23/11/23

पत्रांक व तद दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, झॉंसी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), झॉंसी।


ज्येष्ठ खान अधिकारी,  
झॉंसी।  
23/11/23


### संयुक्त जांच आख्या

ज्येष्ठ खान अधिकारी, झाँसी के मौखिक निर्देश के क्रम में आज दिनांक: 21.11.2023 को खनन विभाग के संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-सलेमापुर में संचालित खनन पट्टे का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपरिलिखित संचालित खनन पट्टे में निम्न कमियां पायी गयी:-

क्र०सं०	पट्टाधारक का नाम व पता	संचालित पट्टा का विवरण	निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितता
1	मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन प्रो० श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार निवासी-म०न०-168/19 नोनिया मोहाल, कटरा जनपद-बांदा।	तहसील-मोंठ, ग्राम-सलेमापुर, आ० सं०-321ग क्षेत्र-10.000 हे०	लगभग 124.00 घनमीटर का अवैध खनन किया जाना हुआ पाया गया।

आवश्यक कार्यवाही हेतु आख्या प्रेषित।

  
21.11.23  
सर्वेक्षक,  
खनिज विभाग,  
झाँसी।

  
21/11/2023  
खान निरीक्षक,  
झाँसी।

# PENDING TRANSACTION

## (अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ०प्र०)

**Government of Uttar Pradesh**

Transaction No.: <b>AKV230041377</b>	Transaction Date: <b>25/11/2023</b>
Assessment Year: <b>2023-2024</b>	Tax Period: <b>ONETIME</b>
Name of the Bank:	<b>State Bank of India</b>
Unique Id:	
Depositor Name:	<b>Subh Constrution</b>
Depositor Address:	<b>Gram Salemapur</b>

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
085300102010000	खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क	1	611600.00
	Totals of the above heads	--	611600.00

(Depositor Remarks->Shashti Shulk)

**THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : NA Scroll Date:-NA**  
**Note:- Please contact SBI Government Business Branch, Lucknow or Director Treasury, Jawahar Bhawan, Lucknow with your payment reference number.**

27/02/24

02/जनन / D M O

कृपया अनुपालन सुनिश्चित करें।

प्रेषक,

निदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०,  
खनिज भवन, लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

झाँसी।

संख्या- 22/0 / एम०-प्रवर्तन झाँसी / 2023

दिनांक 13 फरवरी, 2024

विषय:-बेतवा नदी के सलेमपुर (मोठ) बालू घाट से अवैध खनन की शिकायतों के सम्बन्ध में।  
महोदय,

खनिज लिपि

27/02/24  
(SMO)

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि श्री जवाहर लाल राजपूत, मा० विधायक (भा०ज०पा०), 225 गरौठा, झाँसी के शिकायती पत्र दिनांक 18.12.2023 द्वारा जनपद झाँसी स्थित बेतवा नदी के सलेमापुर (मोठ) में स्वीकृत खनन पट्टा के पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा को रोक कर प्रतिबन्धित मशीनों से व्यापक पैमाने पर अवैध खनन किये जाने की शिकायत के क्रम में प्रकरण की जाँच निदेशालय द्वारा गठित टीम से करायी गयी। संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 11.01.2024 के अनुसार पट्टेधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कुल 1248.20 घन मीटर का अवैध खनन कर मौरम भण्डारित किया जाना पाया गया तथा अन्य अनियमिततायें भी परिलक्षित हुयी है।

अतः संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 11.01.2024 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि जाँच आख्या में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से निदेशालय एवं मा० विधायक जी को अवगत कराने का कष्ट करें।  
संलग्नक-जाँच आख्या दिनांक 11.01.2024 की प्रति।

भवदीय,

27/02/24  
(माला श्रीवास्तव)  
निदेशक।

संख्या: — / एम०-प्रवर्तन झाँसी / 2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन।
2. श्री जवाहर राजपूत, मा० विधायक (भा०ज०पा०), 225 गरौठा, झाँसी।

पत्र संख्या	27
वर्ष	2023-24
क्रमांक संख्या	5929
दिनांक	27/02/2024

(माला श्रीवास्तव)  
निदेशक।

प्रेषक,

भूवैज्ञानिक/प्रभारी अधिकारी,  
क्षेत्रीय कार्यालय-झाँसी।



8080

19/01/24

सेवा में,

निदेशक,  
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०  
खनिज भवन, लखनऊ।

पत्रांक: 40 / 30एम०एम०सी० / 2023-24

दिनांक: 11 / 01 / 2024


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या-1850/एम-प्रवर्तन झाँसी/2023 दिनांक: 03.01.2024 जिसके द्वारा श्री जवाहर लाल राजपूत, विधायक (भाजपा), 225 गरीठा, झाँसी के प्रार्थना पत्र क्रमांक-251887 दिनांक: 18.12.2023 द्वारा बेतवा नदी के सलेमापुर (मोठ) में स्वीकृत खनन पट्टे में पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा को रोक कर प्रतिबन्धित मशीनों से व्यापक पैमाने पर अवैध खनन किये जाने की शिकायत की गई थी।

अतः प्रश्नगत क्षेत्र की जांच संयुक्त टीम द्वारा दिनांक: 11.01.2024 को की गयी। जांच आख्या मूल रूप से इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संनिध  
प्र० खनिज  
निदेशक  
16-01-2024

संलग्नक-यथोक्त।

  
11/01/2024  
(डॉ गौतम कुमार दिनकर)  
भू-वैज्ञानिक/प्रभारी अधिकारी,  
क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी  
Dr. GOUTAM KUMAR DINAKAR  
M.Sc, M.Phil, Ph.D, GATE, NET-JRF (CSIR)  
Geologist/Regional Officer  
Dept. of Geology & Mining, U.P.  
KHANIJ BHAWAN, Regional Office, Jhansi

21  
11/01/24  
व.र. ल. ०

21  
19/01/24

### संयुक्त जाँच आख्या


भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या-1850/एम-प्रवर्तन झाँसी/2023 दिनांक: 03.01.2024 जिसके द्वारा श्री जवाहर लाल राजपूत, विधायक (भाजपा), 225 गरौटा, झाँसी के प्रार्थना पत्र क्रमांक-251887 दिनांक: 18.12.2023 द्वारा बेतवा नदी के सलेमापुर (मोंठ) में स्वीकृत खनन पट्टे में पट्टाधारक द्वारा नदी की जलधारा को रोक कर प्रतिबन्धित मशीनों से व्यापक पैमाने पर अवैध खनन किये जाने की शिकायत की गई है। शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की संयुक्त जाँच दल द्वारा दिनांक: 11.01.2024 पट्टेधारक के प्रतिनिधि (कैशियर श्री सन्दीप कुमार प्रत्र श्री सुभाष चन्द्र निवासी-ईटावा) की उपस्थिति में किया गया जाँच/निरीक्षण किया गया, उक्त क्षेत्र 05 वर्ष (दिनांक 16.01.2021 से 15.01.2026 तक) की अवधि हेतु मेसर्स शुभ कन्सट्रक्शन प्रो० श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार निवासी-168/19 नोनिया मोहाल, कटरा, जनपद-बांदा के पक्ष में वार्षिक अनुमन्य मात्रा-50,000 घन मीटर के लिए स्वीकृत है जांच आख्या का विवरण निम्नवत् है:-

1	सीमा स्तम्भों की स्थिति	पट्टा क्षेत्र में कोई भी सीमा स्तम्भ लगा हुआ नहीं पाया गया
2	PTZ कैमरे की स्थिति	PTZ कैमरे लगा हुआ पाया गया
3	वे-ब्रिज/सी०सी० टी०वी० कैमरे की स्थिति	वे-ब्रिज में लगे सी०सी०टी०वी० कैमरे का लेन्स सही दिशा में लगा हुआ नहीं पाया गया
4	एरच पुल से स्वीकृत पट्टा क्षेत्र/खनन की स्थिति	खनन पट्टा एरच पुल से 400 मीटर की दूरी पर है पुल के सम्बन्ध में सेतु निगम के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जांच की गयी। जांच के समय उनके द्वारा अवगत करवाया गया की स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में खनन किये जाने पर पुल को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है।
5	जलधारा में खनन की स्थिति	मौके पर खनन कार्य बन्द पाया गया परन्तु स्वीकृत खनन क्षेत्र एवं उसके आस-पास के क्षेत्र पूर्ण रूप से वर्तमान में जलमग्न है। जलधारा में खनन के चिन्ह पाये गये परन्तु जलमग्न होने के कारण पैसाईश करना सम्भव नहीं था।
6	स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर खनन की स्थिति	1- अक्षांतर 25°48'09.62 देशान्तर 79°04'55.18 2- अक्षांतर 25°48'15.22 देशान्तर 79°04'58.76 3- स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अक्षांतर 25°48'28.12 देशान्तर 79°05'01.01 4- अक्षांतर 25°48'15.22 देशान्तर 79°04'58.76 में ड्रम एवं लौहे के पाईप पाये गये जिससे प्रतीत होता है कि स्वीकृत खनन स्थल एवं क्षेत्र के बाहर में खनन हेतु लिफ्टर का प्रयोग किया जाता है परन्तु जांच के समय कोई भी आस-पास लिफ्टर लगा हुआ नहीं पाया गया, खनन विभाग-झाँसी द्वारा उक्त स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर अवैध खनन करते पाये जाने पर दिनांक: 05.01.2024 को लिफ्टर मशीन को सीज करते हुए जुर्माना अधिरोपित भी किया गया।
7	स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन की स्थिति	1- अक्षांतर 25°47'56.44 देशान्तर 79°04'49.92 में लगभग 200 मीटर लम्बाई एवं 04 मीटर चौड़ाई में नदी की ओर अन्दर रास्ता बना हुआ पाया गया जिसे तोड़वाने के लिए जनपदीय खान निरीक्षक तथा सवेक्षक को निर्देशित किया गया, परन्तु खनन के चिन्ह नहीं पाये गये। 2- अक्षांतर 25°47'58.00 देशान्तर 79°04'52.99 में 74 X 4.5 X 0.9 = 299.7 घनमीटर खनन कर भण्डारित होना पाया गया।


Stam


R


Signature

		<p>3- पट्टा क्षेत्र के उत्तर पूर्व की दिशा में पट्टेधारक द्वारा अक्षांतर <math>25^{\circ}48'27.41</math> देशान्तर <math>79^{\circ}05'05.46</math> में <math>122 \times 5 \times 0.85 = 518.5</math> घनमीटर।</p> <p>4- अक्षांतर <math>25^{\circ}48'35.68</math> देशान्तर <math>79^{\circ}05'06.75</math> में <math>86 \times 5 \times 1 = 430</math> घनमीटर खनन कर भण्डारित होना पाया गया।</p> <p>इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर लगभग 1248.20 घनमीटर का अवैध खनन कर मोरम भण्डारित किया गया है।</p>
7	जांच के समय अवैध खनन स्थल के फोटोग्राफ	
8	अवैध खनन/परिवहन/ओवरलोडिंग करते हुए पाये गये वाहनों का विवरण	मौके पर स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में कार्य बन्द पाया गया
8	अन्य विवरण	-

उपरोक्तानुसार आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

  
 11-1-2024  
 (शिव कुमार)  
 वरिष्ठ सर्वेक्षक,  
 क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद।

  
 11-1-24  
 (सुभाष सिंह)  
 खान अधिकारी  
 कानपुर नगर।

  
 11/1/2024  
 (डॉ गौतम कुमार दिनकर)  
 भू-वैज्ञानिक/प्रभारी अधिकारी,  
 क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी।  
 Dr. GAUTAM KUMAR DINKAR  
 M.Sc, M.Phil, Ph.D, GATE, NET-JRF (CSIR)  
 Geologist/Regional Officer  
 Dept. of Geology & Mining, U.P.  
 KANUNJ BHAWAN, Regional Office, Jhansi

## कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक:- 16 / 30एम0एम0सी0 / 2023-24

दिनांक 03 / 04 / 2024

## नोटिस

मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन  
प्रो० श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार  
निवासी-म0नं0-168/19 नोनिया मोहाल,  
कटरा जनपद-बांदा।

आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के सम्बन्ध में सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर दिनांक: 22.03.2024 ट्विटरकर्ता Akhilesh Raj Journalist (@patrakar raj) यूजर द्वारा पोस्ट कर उल्लिखित "एरच स्थित सलेमापुर घाट पर बेतवा नदी में पन्नुडुबियों और लिफ्टर मशीनों से हो रहे खुलेआम बालू का खनन" की जांच जनपदीय खान निरीक्षक एवं सर्वेक्षक द्वारा कर निरीक्षण आख्या दिनांक: 30.03.2024 को प्रस्तुत की गयी जिसमें जांचोपरान्त पायी गयी अनियमितताओं किया गया उल्लेख निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में कोई भी सीमास्तम्भ अपने बाउण्ड्री कॉओर्डिनेट अर्थात (A-B-C-D-A) पर लगा हुआ नहीं पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र के बाउण्ड्री कॉओर्डिनेट (A-D) से एरच पुल की ओर लगभग 190.00 मीटर स्वीकृत क्षेत्र से बाहर की दूरी पर दो सक्शन मशीन लिफ्टर पाये गये। जिसे मौके पर ध्वस्त किया गया।
3. उक्त सक्शन मशीन लिफ्टर के माध्यम से स्वीकृत क्षेत्र के बाहर पट्टेधारिका द्वारा किये गये अवैध खनन कर भण्डारित मात्रा की पैमाइश की गयी जिसका विवरण निम्नवत् है:-

लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	ऊंचाई (मीटर में)	कुल योग (मात्रा घनमीटर में) (1 X 2 X 3)
(1)	(2)	(3)	
20	15	1.3	390

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य यथा खनन पट्टा क्षेत्र में बाउण्ड्री कॉओर्डिनेट्स पर सीमास्तम्भ न लगाया जाना, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर प्रतिबन्धित मशीन लिफ्टर के माध्यम से अवैध खनन कर 390.00 घनमीटर भण्डारित किये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 36(1) व 42ज(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसमें दो सक्शन मशीन लिफ्टर के माध्यम से क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किये जाने के कारण नियम-60(4) (प्रति अवसर पाँच लाख रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत कुल रू० 10,00,000.00 की धनराशि, सीमास्तम्भ न लगा हुआ पाये जाने के कारण नियम-60(3) (प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू० 25,000.00 की शास्ति शुल्क के रूप में एवं क्षेत्र के बाहर अवैध खनन कर भण्डारित 390 घनमीटर बालू/मौरम पर रॉयल्टी के रूप में रू० 58,500.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में रू० 58,500.00 X 5 = 2,92,500.00 की धनराशि व नियम-58 के अन्तर्गत रू० 5,00,000.00 की शास्ति शुल्क अधिरोपित कर कुल धनराशि रू० 18,76,000.00 अधिरोपित की जाती है।

इसके अतिरिक्त प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में कार्यालय पत्र संख्या-2083/30एम0एम0सी0/2023-24 दिनांक: 17.02.2024 के माध्यम से निदेशालय के गठित टीम द्वारा दी गयी संयुक्त जांच आख्या में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-58, 60(2), 60(3) व 60(4) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार रू० 22,23,380.00 शास्ति के रूप में धनराशि अधिरोपित कर नोटिस किया गया। जिसे आप द्वारा अब तक खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "0853" में जमा नहीं कराया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आप द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 36(1), 36(2), 42ज(1) एवं निष्पादित पट्टाविलेख में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन बार-बार किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्य दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार कार्यालय पत्र संख्या-2083/30एम0एम0सी0/2023-24 दिनांक: 17.02.2024 में नियमानुसार अधिरोपित धनराशि रू० 22,23,380.00 एवं निरीक्षण आख्या दिनांक: 30.03.2024 में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार शास्ति की धनराशि रू० 18,76,000.00 इस प्रकार कुल अधिरोपित धनराशि रू० 40,99,380.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में

ANUS39744653EN IWR:0283589744650  
R: JHANSI MICHMENT 50 42680017  
Created On: 05/04/2024, 11:16  
TODAY'S SIGNER: CH. NATEA BAWDA  
PIN: 210001, Banda, M.P.  
FOR: 215R, BAWDA, M.P. 5 215R, BAWDA



कर्म उद्योग 0853" में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में अपना स्पष्टीकरण स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें (एर) नियमावली, 2021 के नियम-61(1) के अन्तर्गत आपके पक्ष में ही कार्यवाही की जाय।

जिलाधिकारी,  
झाँसी।

01-04-2024

प्रतिलिपि:- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,  
झाँसी।


01-04-2024

सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर दिनांक: 22.03.2024 ट्विटरकर्ता Akhilesh Raj journalist (@patrakar\_raj) यूजर द्वारा किये गये पोस्ट जिसमें उल्लेख किया गया है कि "एरच स्थित सलेमापुर घाट पर बेतवा नदी में पन्नडुब्बियों और लिफ्टर मशीनों से हो रहे खुलेआम बालू का खनन" का संज्ञान लेते हुए ज्येष्ठ खान अधिकारी महोदय के दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-सलेमापुर के आराजी संख्या-321ग में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण आज दिनांक: 30.03.2024 को समय 4:00PM बजे खान निरीक्षक, झाँसी एवं सर्वेक्षक, खनिज विभाग, झाँसी द्वारा किया गया। प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र की निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में कोई भी सीमास्तम्भ अपने बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट अर्थात (A-B-C-D-A) पर लगा हुआ नहीं पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र के बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट (A-D) से एरच पुल की ओर लगभग 190.00 मीटर स्वीकृत क्षेत्र से बाहर की दूरी पर दो सक्शन मशीन लिफ्टर पाये गये। जिसे मौके पर क्षतिग्रस्त किया गया।
3. उक्त सक्शन मशीन लिफ्टर के माध्यम से स्वीकृत क्षेत्र के बाहर पट्टेधारिका द्वारा किये गये अवैध खनन कर भण्डारित मात्रा की पैमाईश की गयी जिसका विवरण निम्नवत् है:-

लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	ऊचाई (मीटर में)	कुल योग (मात्रा घनमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(1 X 2 X 3)
20	15	1.3	390

4. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में निरीक्षण फोटोग्राफ्स निम्नवत् है:-



आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

दिनांक: 30.03.2024

*(Signature)*  
30.03.2024  
सर्वेक्षक  
झाँसी।

*(Signature)*  
30/03/2024  
खान निरीक्षक,  
झाँसी।

## कार्यालय जिलाधि

(खनिज अनुभाग)

क्र. सं- ४२ / 30एम0एम0सी0 / 2023-24

दिनांक २७/०४ / 2024

## अन्तिम नोटिस

मैसर्स शुभ कन्सट्रक्शन

प्रो० श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार

निवासी-म0नं0-168 / 19 नोनिया मोहाल,

कटरा जनपद-बांदा।

कृपया कार्यालय पत्र संख्या-16/30एम0एम0सी0/2023-24 दिनांक: 03.04.2024 पट्टा निरस्तीकरण नोटिस का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें द्रविटकर्ता Akhilesh Raj Journalist (@patrakar\_raj) यूजर द्वारा पोस्ट कर उल्लिखित "एरच स्थित सलेमापुर घाट पर बेतवा नदी में पन्नडुबियों और लिफ्टर मशीनों से हो रहे खुलेआम बालू का खनन" की जांच जनपदीय खान निरीक्षक एवं सर्वेक्षक द्वारा प्रस्तुत निम्न निरीक्षण आख्या दिनांक: 30.03.2024 के क्रम में नोटिस निर्गत किया गया था जिसमें निम्न अनियमितता पायी गयी:-

1. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में कोई भी सीमास्तम्भ अपने बाउण्ड्री कॉओर्डिनेट अर्थात (A-B-C-D-A) पर लगा हुआ नहीं पाया गया।
2. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र के बाउण्ड्री कॉओर्डिनेट (A-D) से एरच पुल की ओर लगभग 190.00 मीटर स्वीकृत क्षेत्र से बाहर की दूरी पर दो सक्शन मशीन लिफ्टर पाये गये। जिसे मौके पर क्षतिग्रस्त किया गया।
3. उक्त सक्शन मशीन लिफ्टर के माध्यम से स्वीकृत क्षेत्र के बाहर पट्टेधारिका द्वारा किये गये अवैध खनन कर भण्डारित मात्रा की पैमाईश की गयी जिसका विवरण निम्नवत् है:-

लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	ऊंचाई (मीटर में)	कुल योग (मात्रा घनमीटर में) (1 X 2 X 3)
20	15	1.3	390

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत निरीक्षण आख्या के अनुसार आप द्वारा किया गया उक्त कृत्य यथा खनन पट्टा क्षेत्र में बाउण्ड्री कॉओर्डिनेट्स पर सीमास्तम्भ न लगाया जाना, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर प्रतिबन्धित मशीन लिफ्टर के माध्यम से अवैध खनन कर 390.00 घनमीटर भण्डारित किये जाने का कृत्य उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 36(1) व 42ज(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। जिसमें दो सक्शन मशीन लिफ्टर के माध्यम से क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किये जाने के कारण नियम-60(4) (प्रति अवसर पाँच लाख रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत कुल रू0 10,00,000.00 की धनराशि, सीमास्तम्भ न लगा हुआ पाये जाने के कारण नियम-60(3)(प्रति अवसर पच्चीस हजार रुपये की धनराशि) के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 25,000.00 की शास्ति शुल्क के रूप में एवं क्षेत्र के बाहर अवैध खनन कर भण्डारित 390 घनमीटर बालू/मौरम पर रॉयल्टी के रूप में रू0 58,500.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में रू0 58,500.00 X 5 = 2,92,500.00 की धनराशि व नियम-58 के अन्तर्गत रू0 5,00,000.00 की शास्ति शुल्क अधिरोपित कर कुल धनराशि रू0 18,76,000.00 अधिरोपित धनराशि तथा प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में कार्यालय पत्र संख्या-2059 / 30एम0एम0सी0 / 2023-24 दिनांक: 17.02.2024 के माध्यम से निदेशालय के गठित टीम द्वारा दी गयी संयुक्त जांच आख्या में उल्लिखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-58, 60(2), 60(3) व 60(4) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार रू0 22,23,380.00 शास्ति के रूप में धनराशि अधिरोपित धनराशि इस प्रकार कुल धनराशि 40,99,380.00 को जमा किये जाने एवं पट्टा निरस्तीकरण नोटिस दिनांक: 03.04.2024 में उल्लिखित धनराशि अब तक खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "0853" जमा नहीं किया गया तथा पट्टा निरस्तीकरण के सम्बन्ध में अपना प्रत्युत्तर भी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त उक्त स्वीकृत खनन पट्टा के चतुर्थ वर्ष की चतुर्थ किश्त जो पट्टा विलेख के भाग-02 के अनुसार निर्धारित किश्त रू0 63,35,560.00, जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास की धनराशि रू0 6,33,556.00 तथा टी0सी0एस0 की धनराशि रू0 1,26,712.00 की देयता दिनांक 01.04.2024 को देय हो गयी थी। जिसे आप द्वारा समयान्तर्गत जमा नहीं किया गया, जिस कारण बकाया धनराशि उक्त नियमावली-2021 के नियम-59 व 61 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन कार्यालय पत्र संख्या-36 / 30एम0एम0सी0 / 2024-25 दिनांक: 18.04.2024 को जमा कराये जाने के सम्बन्ध में नोटिस निर्गत किया गया। जिसके उपरान्त भी आपके द्वारा जमा नहीं कराया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आप द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 36(1), 36(2), 42ज(1) एवं निष्पादित पट्टाविलेख में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन बार-बार किया जा रहा है।



अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अन्तिम नोटिस प्राप्ति के पन्द्रह कार्य दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार कार्यालय पत्र दिनांक: 03.04.2024 में नियमानुसार अधिरोपित धनराशि रू0 40,99,380.00 एवं कार्यालय दिनांक: 18.04.2024 के द्वारा माह-अप्रैल की निर्धारित किश्त रू0 63,35,560.00, जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास की धनराशि रू0 6,33,556.00 तथा टी0सी0एस0 की धनराशि रू0 1,26,712.00 जो बकाया के रूप में देय है। इस प्रकार शास्ति की कुल अधिरोपित धनराशि रू0 40,99,380.00 एवं किश्त की बकाया धनराशि रू0 63,35,560.00 खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 0853" में तथा डी0एम0एफ0 रू0 6,33,556.00 तथा टी0सी0एस0 की धनराशि रू0 1,26,712.00 को निर्धारित खाता/शीर्षक में जमा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराते हुए इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें की क्यों न उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली,2021 के नियम-61(1) के अन्तर्गत आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा के निरस्तरीण की कार्यवाही की जाय।

जिलाधिकारी,  
झाँसी।

पत्रांक व तद् दिनांक:

प्रतिलिपि:- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशाल, उ0प्र0 लखनऊ सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,  
झाँसी।

प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),  
झाँसी।

सेवा में,

निदेशक,  
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०,  
खनिज भवन, लखनऊ।

पत्रांक: 397 / 30एम०एम०सी० / 2024-25

दिनांक: 23 / 07 / 2024

विषय :- बेतवा नदी के सलेमापुर (मोंठ) बालू घाट से अवैध खनन की शिकायतों के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-2210/एम०-प्रवर्तन झाँसी/2023 दिनांक: 13.02.2024 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या-860/एम०-प्रवर्तन झाँसी/2023 दिनांक: 12.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री जवाहर लाल राजपूत मा० विधायक (भा०ज०पा०), 225 गरीठा, झाँसी के शिकायती पत्र दिनांक: 18.12.2023 के क्रम में प्रकरण की जाँच निदेशालय द्वारा गठित टीम से करायी गई थी, जाँच में पट्टेधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कुल 1248.20 घनमीटर अवैध खनन कर भण्डारित किया जाना पाया गया तथा अन्य अनियमिततायें भी परिलक्षित हुयी थी जिसके सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से निदेशालय एवं मा० विधायक जी को अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त गठित टीम द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या दिनांक: 11.01.2024 के अनुसार पट्टेधारिका द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार सीमा स्तम्भ न लगाया जाना नियम-36(1), वे-ब्रिज में लगे कैमरे की लेन्स सही दिशा में न रखना नियम-36(2), जलधारा में खनन किये जाने के कारण नियम-42(ज), अक्षांतर 25°47'56.44 देशान्तर 79°04'49.92 में लगभग 200 मीटर लम्बाई एवं 04 मीटर चौड़ाई में नदी की ओर अन्दर रास्ता बना हुआ पाया जाना नियम-35 एवं स्वीकृत क्षेत्र के बाहर लगभग कुल मात्रा 1248.20 घनमीटर का अवैध खनन कर मोरम भण्डारित किया जाना नियम-03 का उल्लंघन होने के दृष्टिगत नियम-60(2) के अन्तर्गत शास्ति के रूप में रु० 50,000.00, नियम-60(3) के अन्तर्गत शास्ति के रूप में रु० 50,000.00, नियम-60(4) के अन्तर्गत शास्ति के रूप में रु० 5,00,000.00 एवं स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 1248.20 घनमीटर का अवैध खनन कर भण्डारित किये जाने के कारण नियम-58 के अन्तर्गत नियमानुसार (जिसमें रॉयल्टी के रूप में रु० 1,87,230.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में रु० 1,87,230.00 X 5 = 9,36,150.00 एवं शास्ति शुल्क रु० 5,00,000.00 की धनराशि सम्मिलित है) कुल रु० 22,23,380.00 की शास्ति की धनराशि को जमा कराये जाने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या-2059/30एम०एम०सी०/2023-24 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया एवं प्रतिलिपि मा० विधायक (भाजपा), श्री जवाहर लाल राजपूत, 225-गरीठा, झाँसी को पृष्ठांकित कर पत्र प्रेषित किया गया।

इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत खनन पट्टे के सम्बन्ध में सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर दिनांक: 22.03.2024 ट्विटरकर्ता Akhilesh Raj journalist (@patrakar raj) यूजर द्वारा प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए प्रश्नगत क्षेत्र की जाँच खनन विभाग की टीम द्वारा की गयी। जिसमें पट्टेधारिका द्वारा पुनः खनन पट्टा क्षेत्र में बाउण्ड्री कॉऑर्डिनेट्स पर सीमास्तम्भ न लगाया जाना, स्वीकृत क्षेत्र से बाहर दो प्रतिबन्धित मशीन लिफ्टर के माध्यम से अवैध खनन कर 390.00 घनमीटर भण्डारित किया जाना पाया गया। इस प्रकार पट्टेधारिका द्वारा बार-बार उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3, 36(1), 36(2) व 42ज(1) का एवं निष्पादित खनन पट्टा विलेख की शर्तों का उल्लंघन

(2)

किये जाने के दृष्टिगत उक्त नियमावली के निर्धारित प्राविधानों के अनुसार कार्यालय के पत्र संख्या-16/30एम0एम0सी0/2023-24 दिनांक:03.04.2024 एवं कार्यालय के पत्र संख्या-82/30एम0एम0सी0/2023-24 दिनांक: 27.04.2024 के द्वारा पट्टा निरस्तीकरण हेतु नोटिस निर्गत किया गया। जिसमें पट्टेधारिका द्वारा अधिरोपित शास्ति की धनराशि जमा न करने एवं अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने के कारण कार्यालय पत्र संख्या-293/30एम0एम0सी0/2024-25 दिनांक: 19.06.2024 द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा (जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-सलेमापुर के आराजी संख्या-321ग में 10.000 हेक्टेयर) को निरस्त कर बकाया शास्ति की धनराशि एवं निर्धारित किशतों की धनराशि वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए तथा उक्त नियमावली-2021 के नियम-61(2) के अन्तर्गत पट्टाधारिका का नाम दो वर्ष की अवधि हेतु ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- यथोक्त।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),  
झाँसी।

पत्रांक व तददिनांक:

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, झाँसी।
- 2- श्री जवाहर राजपूत, मा0 विधायक (मा0ज0पा0), 225 गरौटा, झाँसी।

अपर जिलाधिकारी(न्यायिक),  
झाँसी।

अनुस्मारक-1

प्रेषक,

निदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,

उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

झाँसी।

संख्या: 860 / एम-प्रवर्तन झाँसी / 2023

दिनांक: 12<sup>वा</sup> जुलाई, 2024

विषय: बेतवा नदी के सलेमपुर (मोठ) बालू घाट से अवैध खनन की शिकायतों के संबंध में।  
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 2210/एम-प्रवर्तन झाँसी/2023 दिनांक 13.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री जवाहर लाल राजपूत, मा0 विधायक (भा0ज0पा0), 225 गरौठा, झाँसी के शिकायती पत्र दिनांक 18.12.2023 के क्रम में प्रकरण की जाँच निदेशालय द्वारा गठित टीम से करायी गई थी, जाँच में पट्टेधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर कुल 1248.20 घ0मी0 अवैध खनन कर भण्डारित किया जाना पाया गया तथा अन्य अनियमिततायें भी परिलक्षित हुयी थी जिसके संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से निदेशालय एवं मा0 विधायक जी को अवगत कराने की अपेक्षा की गई थी, जिसमें अभी तक आख्या अप्राप्त है।

अतः प्रकरण में कृत कार्यवाही से निदेशालय को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय  
12/7/24  
(माला श्रीवास्तव)  
निदेशक

# कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी ।

(खनिज अनुभाग)

दिनांक 13/08/2024

पत्रांक:-520 / 30एम0एम0सी0 / 2024-25

अन्तिम नोटिस

मैसर्स शुभ कन्सल्ट्रेशन  
प्रो० श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार  
निवासी-म0नं0-168/19 नोनिया मोहाल,  
कटरा जनपद-बांदा।

जनपद-झाँसी के तहसील-मोंठ स्थित ग्राम-सलेमापुर के आराजी संख्या-321ग में 10.000 हे० क्षेत्र पर बेतवा नदी तल स्थित बालू/मोरम का नीलासी पट्टा 05 वर्ष (दिनांक: 16.01.2021 से दिनांक: 15.01.2026 तक) की अवधि हेतु आपके पक्ष में स्वीकृत था। आप द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा में देय किश्त के मद में ब्याज सहित कुल रू० 2,01,48,480.00 धनराशि, डी0एम0एफ0 के मद में ब्याज सहित रू० 20,54,841.00, टी0सी0एस0 के मद में रू० 3,80,136.00 की धनराशि, नोटिस दिनांक: 05.03.2024 द्वारा आरोपित धनराशि 86,215.00 एवं नोटिस दिनांक 03.04.2024 द्वारा आरोपित धनराशि रू० 40,99,380.00 कुल धनराशि रू० 2,67,69,052.00 में से रू० 1,19,00,000.00 समायोजन के उपरान्त कुल बकाया धनराशि रू० 1,48,69,052.00 जो आप द्वारा आज तक जमा नहीं की गयी। इसी क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-686/02/एम-शिकायत/झाँसी/2024 दिनांक: 20.06.2024 जिसके साथ संलग्न श्री करन सिंह राजपूत निवासी ग्राम-बरनाया, मोंठ, झाँसी के शिकायती पत्र दिनांक: 04.02.2024 में उल्लिखित बिन्दुओं की जाँच कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या-2298/एम0-प्रवर्तन/झाँसी/2023 दिनांक: 26.02.2024 द्वारा संयुक्त जाँच टीम का गठन किया गया। स्थलीय निरीक्षणोंपरान्त जाँच टीम द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जाँच आख्या दिनांक: 05.03.2024 में इंगित अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

संयुक्त जाँच आख्या दिनांक: 05.03.2024 के बिन्दु संख्या-2 में बेतवा नदी में दो जगह लिफ्टर मशीन चलने का पुराना चिन्ह पाया गया। आप द्वारा उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम 42(ज) एवं नियम-3 का उल्लंघन करने पर उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम 60(4) एवं नियम-58 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार प्रतिबन्धित मशीन लिफ्टर का प्रयोग किये जाने के कारण नियम-60(4) के अनुसार रू० 5,00,000.00 इस प्रकार कुल रू० 10,00,000.00 (दस लाख रुपये मात्र) की धनराशि आप पर अधिरोपित की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त संयुक्त जाँच आख्या दिनांक: 05.03.2024 के बिन्दु संख्या-4 स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के पहुँच मार्ग के पूरब में स्थित पिलर-ए से दक्षिण की ओर एवं साईन बोर्ड के मध्य (अक्षांश 25°-48°-3.3 देशान्तर 79°-04°-52.4) लगभग (42मी० X 8मी० X 1.00मी०) 336.00 घनमीटर का खनन होना पाया गया, जो कि स्वीकृत क्षेत्र के बाहर है। स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 336.00 घनमीटर का अवैध खनन किये जाने के कारण नियम-58 के अन्तर्गत नियमानुसार (जिसमें रायल्टी के रूप में रू० 50,400.00 तथा खनिमुख मूल्य के रूप में रू० 50,400.00 X 5 = 2,52,000.00 एवं शास्ति शुल्क रू० 5,00,000.00 की धनराशि सम्मिलित है) कुल रू० 8,02,400.00 की धनराशि आप पर अधिरोपित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्त धनराशि रू० 1,66,71,452.00 (एक करोड़ छियासठ लाख इकहत्तर हजार चार सौ बावन रुपये) का खनिज के निर्धारित लेखाशीर्षक "0853, अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा कर ट्रेजरी चालान की मूलप्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में भू-राजस्व की भांति बकाया के रूप में वसूल किये जाने हेतु आपके विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र (आर०सी०) जारी कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक),  
झाँसी।

पत्रांक व तद्दिनांक:  
प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी महोदय, झाँसी को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक),  
झाँसी।